

लाला लाजपत राय (पंजाब): धैर्यमैन साहब, मैं इस दुर्घटना का पुरजोर शब्दों में खंडन करता हूँ, मज्जमत करता हूँ। जहाँ मैं इन वाक्यात की मज्जमत करता हूँ, वही पर मैं प्रधान मंत्री जी ने अपने साथ मुखतलिफ पार्टियों के लीडरान को ले जाने की जो पहल की है, उसकी सराहना करता हूँ। इससे वहाँ के रहने वाले लोगों को विश्वास मिला है और जो लोग मारे गए हैं उनके घर वालों को श्रद्धा मिला है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि बात-चीत चलती रहनी चाहिए, बहुत मुनासिब है, बात-चीत भी चलती रहेगी और ये रगड़े भी चलते रहेंगे। पंजाब का तजुर्बा हमारे सामने है। वह कैसे खत्म हुआ इसकी मिसाल भी हमारे सामने है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से केवल दो बातें पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि वहाँ पर जो लोग मारे गए हैं अभी तक उनके परिवार वालों को स्टेट या सेंटर की ओर से कम्पनसेशन क्यों नहीं मिला? यह कब तक मिलेगा क्या इसकी जानकारी हमें मिलेगी? मेरी दूसरी बात यह है कि जैसे वैष्णोदेवी मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बना और उससे वहाँ का रास्ता बिल्कुल महफूज हो गया है, ट्रस्ट के बनने के बाद से लेकर आज तक वहाँ पर कोई दुर्घटना नहीं घटी है, क्या सरकार अमरनाथ मंदिर के बारे में भी ऐसा विचार कर रही है कि वहाँ ट्रस्ट बने और सारा रास्ता महफूज हो जाए? अगर ऐसा विचार है तो यह कब तक पूरा हो जाएगा?

MR. CHAIRMAN: This is the first time that we are giving opportunity to more than one Member from each party. Whoever has sent his name has been allowed to speak because this is a solemn thing and the country is totally shocked. But this should not be taken as a precedent that henceforth also we would do it.

SHRI N. K. P. SALVE (Maharashtra): We hope there will be no more such killings!

MR. CHAIRMAN: No. Even if killings are there, the determination should be there and not merely the thing that we speak for the sake of speaking. Already, thirty Members have spoken today. Members from all the parties have spoken. The Prime Minister will respond to it on Monday, at 12 o' clock.

We adjourn for one hour. After that, we will take up Private Members' Resolutions. Now, I adjourn the House.

The House then adjourned for lunch at three minutes past two o'clock.

The House re-assembled after lunch at seven minutes past two o'clock,

THE VICE- CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI)

**PRIVATE MEMBERS' BUSINESS RESOLUTION**

**Measures To Control Population Growth**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI):  
up a resolution by Shri Sirigireddy.

**SHRI RAMA MUNI REDDY SIRIGIREDDY (Andhra Pradesh) :** Sir, I move the following Resolution: --

"Having regard to the fact that-

- (i) the population of our country has reached an alarming number crossing one billion mark in May, 2000;
- (ii) the increasing population is the root cause of poverty, unemployment, corruption, crime and social unrest;
- (iii) due to increased population, the results of development have not reached the common people; and
- (iv) all the measures taken to check the population during the last 50 years have not yielded the desired results,

this House urges upon the Government to take immediate steps such as giving incentives to the people having small family; making small family norm compulsory for the people's representatives and employees; evolving a consensus with political parties and religious groups on making small family norms compulsory for all and starting a mass movement involving various government agencies and NGO's to spread the message about the necessity of small family to the masses."

India is the first country in the world to take up the population control programme. This programme was started in 1952, and since our country was the first country to start this programme, it should have remained as an ideal country in regard to population control and family welfare programmes. But our country has miserably failed in achieving the targeted results and we have not been able to stop the population growth. For implementing the family welfare and family planning programmes, the kind of dedication and devotion that is required by the implementing agencies is lacking. Our officers and leaders have not been able to give a proper direction to this. As a result of all this, our country today has remained as the second largest populated country in the world. The family planning programmes have been full of various loopholes and shortcomings due to which the people have not been enlightened about the family planning programmes. India, today, has got 100 crore people; that means one billion people. Mr. Vice-Chairman, Sir, in the next 50 years, we will go ahead of China and will become the largest populated country in the world. Whatever measures we may take, this situation cannot be stopped under any circumstances. Do we feel happy about having a one billion population? I am sure, doubt we are not.

Every year, 17 million people are being added to the population of the country.

By this, the demand on our resources, housing, clothing, health and education facilities is increasing day by day and these resources are becoming scarce. Mr. Vice-Chairman, Sir, due to this, whatever achievements we are making in the economic, educational and technological fields are being sidetracked and we are not able to make better use of the achievements we are making in all the other fields. We have to feel very sad about this kind of situation prevailing in the country. It was stated that in the First Five Year Plan that for achieving economic growth, we have to check the growth of population. In the Second Five Year Plan, it was felt that the growth of population was much more than the expected level and it was likely to continue for a longer period. Therefore, in the succeeding Five-Year Plans, the small family norm has been considered as the foundation for development. In spite of eight Five-Year Plans and five decades of planning, we have not been able to reduce the growth of population. The main reason for this is the lower allocation of funds for the family planning programmes. According to the report of the World Bank given in 1993, among the developing countries, India is one of the countries spending the lowest amount on family planning programmes. Even the allocated amount is not being spent adequately and properly. Therefore, the Government has to seriously consider increasing the allocation for family welfare programmes. Government should also plug the loopholes<sup>2</sup> to ensure proper and adequate utilisation of the funds granted. Mr. Vice-Chairman, Sir, Government has totally failed in bringing awareness among the people and enlightening them about the necessity of the family welfare programmes. As everyone is aware, ours is a traditional and custom-oriented society where old customs are given more prominence and importance. Among most of the families, even today, there is a strong desire for at least one son; if not two. We have not been able to change this custom. Due to this, the fertility rate is still hovering around 3.5 per cent. It is unfortunate that after 50 years of our incessant effort, we have not been able to reduce the fertility rate, whereas many other developing nations have taken around 15 years only for bringing about this much change. In 1983, the National Health Policy was prepared. According to the National Health Policy<sup>3</sup>, the fertility rate in our country was to come down to 2.1 per cent by the year 2000. But in achieving this, our Ministry of Health and Family Welfare and all the programmes that have been adopted have totally failed. I am constrained to note that according to the Registrar

General of India, we will be able to achieve this fertility rate only in 2006. But many experts feel that this may not be possible even by then. We have not even reached the most important and most difficult objective that is, adoption of the one child norm by the people. For taking up that concept, first of all, we have to eradicate the custom and the feeling among the people that they should have minimum of two sons. Thereafter, we have also to eradicate and remove the feeling among the people of having at least one son. After crossing these two steps, we will be able to take the small family norm to the people and convince them about it. I have come to know that recently the National Population Commission has also recommended the introduction of the two-child norm.

I strongly urge upon the Government to seriously consider the implementation of the 'small family' norm and even the 'one child' norm. According to the famous scientist, Dr. Swaminathan, adopting a holistic approach is the only way to stop the population growth. I also agree with his view. According to him, 'It should be the right of every child to have all the basic necessities, to have a healthy life, education and nutritious food.' These are the basic requirements that are needed.

Because of the incentives that have been incorporated in our family planning programmes, we have not been able to bring awareness among the people. Had we considered -- instead of incentives -- providing literacy, education, economic safety, social empowerment, etc., we could have achieved the desired growth in the family planning programmes. Development should be linked with reproductive health because population, poverty, production and consumption are all inter-linked. Therefore, we have to achieve a lot in the economic and educational sectors so that the results of that achievement will have this impact on the implementation of family welfare programmes. We are backward even in the health sector. Even though our country has a very wide and large health network system, sufficient medical facilities are not available to the people, and majority of the population do not get even the minimum medical facilities. According to the estimates of the World Health Organisation, five beds have to be there for every one thousand population. But, in our country, the situation is the other way round. It is between 2 and 2.06 beds in the cities, and in the villages, it is much lower. The doctor ratio is also very bad in our country. According to the statements made here, in this House, there is one doctor for nearly 30,000 people. There is one doctor for every 15,000 - 20,000 people in States like Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh;

same is the case with beds. In fact, majority of the villages in our country do not have any medical facilities. Similarly, the ratio of doctors, nurses and hospitals vis-a-vis population is very less. By this, we can understand that the people in our country do not have the minimum health facilities. I, therefore, say that when we achieve full coverage of health facilities to all the people and provide economic security to the people, we will be able to go a step forward in the direction of reducing the population growth.

Mr. Vice-Chairman, Sir, we are also neglecting our Indian Systems of Medicine such as Ayurveda, Homeo, Sidha, Unani, Naturopathy, etc., which were very popular in the olden days. These are also result-oriented systems. I do not know why our country is neglecting these systems. We can have good results if we adopt these systems, with less budget. This aspect has to be gone into. I request that the Government should think about these systems.

Sir, literacy is the main measuring instrument for population growth. No other aspect can reduce the population as much as literacy. The main reason for not achieving the desired results in the family welfare programmes is, illiteracy and inability to bring awareness among the people. Illiteracy, among women, is the main problem. Though it is the women who should be the forerunners in implementing the family planning programmes, majority of the women are illiterate. According to one survey, one woman out of four does not have awareness about the birth control methods. Women in the age group of 13-30 are not able to keep a gap between the children under the modern temporary contraception methods. In our country, 65 per cent of the girls get married between the age of 13 and 18. All these things are happening due to illiteracy: If there were literacy and education among women, they would have had awareness which would have brought wonders in the implementation of this programme. The main example of this is Kerala. Since Kerala has achieved total literacy, 80 per cent of the girls marry only between the age group of 25 and 30. In this State, the birth rate is 16.7 per cent, whereas the target set for the country is 20 per cent. But in Uttar Pradesh, the birth rate is 36.8 per cent, in Bihar it is 36.2 per cent. By this, we can understand the importance of education in achieving the desired results in the family welfare programme.

Recently, our Government has announced the National Population Policy. I am constrained to note that even though our country was the first country to start a country-wide family planning programme, we have taken 50 years to prepare such a policy document. However, I am still glad that,

at least now, the policy has been finalised. This policy contains many programmes. Some of the programmes worth-mentioning are: reducing the maternal mortality rate, the infant mortality rate, and keeping the contraceptive services within the reach of the people. Many incentives have been incorporated in this. Some of them are: giving rewards to Panchayats and Zila Parishads, continuing Balika Samridhi Yojna, Maternity Welfare Scheme, Health Insurance Scheme, etc. However, there are some drawbacks in this also. Women have not been given the desired role and importance. Women's social and economic empowerment is very essential for the family welfare programme. But in the National Population Policy, only a passing reference has been made. I, therefore, request the Government to consider re-examining the policy and give sufficient orientation to women. Giving rewards acts as a major curse for women. It is mainly because Panchayats and Zila Parishads make use of the poor people, particularly women, for reaching the targets and getting rewards. This is not my view; this is the apprehension expressed by many experts. Many more apprehensions have been expressed on the policy. Therefore, Government should examine the apprehensions expressed by the experts on the National Population Policy. Mr. Vice-Chairman, Sir, Another most distressing fact is that the BIMARU States -- Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh -- contribute the maximum to the population growth of the country. However, their contribution towards the effort at reducing the population growth is negligible. These four States account 60 per cent of the population growth of the country; while their population is only 40 per cent of the total population of the country. By this, we can understand to what extent the family planning programmes are neglected in these four States. Therefore, a special programme with an intensified effort is required in these four States so that the country can think of reducing the population growth. The role of non-governmental organizations in implementing the family planning programmes and bringing awareness among the people, is significant. In fact, these organizations can play a better role than the Government in educating the people on this. I, therefore, request the Government to give sufficient role to NGOs.

Now, I come to the 79<sup>th</sup> Constitution (Amendment) Bill. This Bill, I think, was introduced in the Rajya Sabha in 1992. This Bill provides for promotion of the small family norm and making efforts to reduce population growth. But the important aspect of the Bill is that those who have more than two children will not be eligible to be elected as Members of Parliament and State Legislatures. This is a very important aspect, and if

this can be implemented, the elected representatives can become the role model for the people. The Standing Committee on Human Resource Development has considered this Bill and submitted its report in 1995. In this report, the Committee has made many recommendations. It was recommended that by taking the small family norm as the main aspect, the population growth should be stabilised at the replacement level and this should be the main target of the country. The Committee, while fully supporting the Bill, felt that every political party should keep the small family norm in the Code of Conduct for Members. The Committee has also recommended that incentives and disincentives should be given for the people of all sectors, mainly Government employees, teachers, professionals, private sector, etc. But the main recommendation of the Committee in regard to the eligibility criteria, on the basis of small family norm, for being elected to Parliament and State Legislatures, is that the Government should have wide-ranging consultations with all political parties and leaders and arrive at a consensus, and the Bill should be passed. Unfortunately, this Bill has not seen the light of the day. I do not know to what extent the Government had consultations to arrive at a consensus. I am constrained to say that our Government has not given sufficient importance to such an important piece of Legislation. If this Bill is passed, we, the Members of Parliament and State Legislatures, can be the role model for the entire population of the country.

*The question was proposed.*

श्रीमती सरला माहेस्वरी (पश्चिमी बंगाल): माननीय उपसमाध्यक्ष महोदय, श्री राममुनि रेड्डी सिरिगी रेड्डी ने बढ़ती हुई आबादी के संबंध में अपनी चिंता का इज़हार करते हुए जो संकल्प पेश किया है, उस संकल्प में उन्होंने कई निष्कर्ष दिए हैं और उन निष्कर्षों को भी तथ्यों के रूप में रेखांकित किया है। मसलन उनका कहना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या गरीबी, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, अपराध तथा सामाजिक अशांति का मूल कारण है।

उपसमाध्यक्ष महोदय, मैं उनके इस निष्कर्ष से अपनी असहमति व्यक्त करती हूँ लेकिन इस असहमति के साथ ही मैं इस मुद्दे पर अपने कुछ विचार रखना चाहूंगी। जब मैं यह कह रही हूँ तो मेरा यह मतलब नहीं है कि मैं आबादी पर नियंत्रण की विरोधी हूँ या परिवार नियोजन की विरोधी हूँ, मैं समझती हूँ कि यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सवाल दृष्टिकोण का है, किस नज़रिए से हमें आबादी के प्रश्न को देखना चाहिए।

महोदय, यह तथ्य है कि 11 मई, 2000 को हमारे देश की आबादी एक अरब को पार कर गई और नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जन्मी एक बच्ची को, मंत्री महोदय यहाँ बैठी हैं, आस्था नाम देकर और सरकार ने उसे अपनाकर आबादी के प्रति अपनी अनास्था की घोषणा कर दी।

महोदय, आबादी के प्रश्न को हम हल्के-फुल्के तरीके से नहीं समझ सकते। इसके साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलू जुड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग ने इस वर्ष आबादी के प्रश्न पर कई महत्वपूर्ण तथ्यों और आकृतियों को संकलित करते हुए एक पुस्तक निकाली है और उस पुस्तक में उन्होंने आबादी के प्रश्न पर अब तक जितने विश्व सम्मेलन हुए, उन तमाम विश्व सम्मेलनों का निचोड़ प्रस्तुत किया है और इन सभी सम्मेलनों में आबादी के प्रश्न को उन्होंने किस नज़रिए से देखा, यह बताया गया है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि इन सभी सम्मेलनों में आबादी के प्रश्न को मानव समाज के प्रश्न के साथ जोड़कर देखने की कोशिश की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने इन सम्मेलनों में 12 महत्वपूर्ण मानक तैयार किए थे, जिन मानकों के ज़रिए यह देखा जा सके कि दुनिया में मानव जीवन के स्वरूप के बारे में एक ऐसी अवधारणा विकसित की जा सकती है कि बढ़ती हुई आबादी के बावजूद क्या मनुष्य को जीने लायक न्यूनतम परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं या नहीं। इन न्यूनतम मानकों में यह हिताब लगाया गया कि किस देश में कितने लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध है, किस देश में कितने लोग किस प्रकार की जन्म नियंत्रण पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं, कितने लोगों का वजन उनके अपेक्षित वजन से कम है, प्रजनन के समय कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, कुपोषण के कारण पांच वर्ष से कम आयु के कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, औरतों और मर्दों की औसत आयु क्या है, कितने बच्चे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ले पाते हैं, व्यस्कों में निरक्षरता की दर क्या है, कितने लोगों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध है, कितने लोगों को शौच की स्वच्छ सुविधा उपलब्ध है तथा किसी देश के व्यक्ति के पास कितनी जमीन उपलब्ध है। इस पुस्तक में सभी देशों के बारे में इन तमाम मानकों के आधार पर तथ्य संकलित किए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि इन सम्मेलनों में जो विचार का विषय था, वह सिर्फ आबादी का बढ़ना या घटना नहीं था बल्कि इस बात पर विचार किया गया था कि लोगों को जीने लायक परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं या नहीं और इस निष्कर्ष पर भी पहुँचा गया था कि जीवन की परिस्थितियों में आने वाले उतार-चढ़ाव सिर्फ आबादी के आकार पर निर्भर नहीं करते, बल्कि उनका संबंध बहुत से दूसरे पहलुओं से भी जुड़ा हुआ होता है। महोदय, पृथ्वी पर आबादी का प्रश्न कोई नया प्रश्न नहीं है। आबादी के इस मसले पर आज से 200 वर्ष पूर्व विचार शुरू हो गया था। सन् 1798 में माल्थस ने अपनी पुस्तक लिखी थी और उन्होंने अपनी पुस्तक 'ऐसे ऑन दि प्रिंसिपल आफ पापुलेशन' में कई स्थापनाएँ दी थीं। उनकी एक प्रमुख स्थापना थी कि 'मनुष्य जाति के प्रजनन पर यदि रोक न लगाई गई तो आदमी की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि उसे ज़िंदा रखना मुश्किल हो जाएगा।'

उनका यह कहना था कि यदि परिवारों को बढ़ने से नहीं रोका गया तो अकाल, एक विश्वव्यापी समस्या बन जाएगा। महोदय, माल्थस ने उस समय इंग्लैंड के लोगों के जीवन-स्तर में आने वाली गिरावट का कारण वहाँ की गरीब जनता के अंदर दूँड निकाला था। उनका यह कहना था कि गरीबों का गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार ही सब रोगों की जड़ है। माल्थस का कहना था कि बढ़ती हुई आबादी सारे संसाधनों को खा जाएगी। माल्थस की मृत्यु के बाद आज 186 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन माल्थस की तरह की सोच के माल्थसवादी आज भी हैं। उनकी एक पूरी जमात है जो सभी समस्याओं की जड़ सिर्फ बढ़ती हुई आबादी में ही देखते हैं। अमीर देशों की बढ़ती हुई आबादी से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। उन्हें शिकायत है सिर्फ गरीब देशों की गरीब जनता की बढ़ती हुई आबादी से। महोदय, माल्थसवाद इतिहास की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। कमी संसाधनों की नहीं बल्कि उनके बंटवारे की है। उदाहरण के लिए जब सारी दुनिया में प्रति व्यक्ति खाद्य की उपलब्धता 10 पाउंड प्रति सप्ताह है, उस समय हम देखते हैं कि अमरीका में प्रति



व्यक्ति 12 पाउंड खाद्य की खपत प्रति सप्ताह होती है। इसी से पता चलता है कि दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खाद्य सामग्री की औसत उपलब्धता को हासिल नहीं कर पा रहा है। यह विषमता प्रत्येक उस राष्ट्र के अंदर पाई जा सकती है और पाई जाती है जो बाजार अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं और इस अर्थव्यवस्था के चलते इन तमाम समाजों में हम भयंकर विषमता का राज देख रहे हैं। महोदय, यह सच है कि यही विसंगति का प्रमुख कारण है। आज भारी उत्पादनशीलता की वास्तविकता के बावजूद भूख और चरम दरिद्रता दुनिया के विशाल हिस्से का कटु यथार्थ बनी हुई है।

उपसमाध्यक्ष महोदय, भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे पहले शुरू हुआ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि तमाम तामझाम के बावजूद परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल नहीं हुए हैं और इस दिशा में कोई कारगर उपाय नहीं किए गए हैं। इस मामले में सर्वसम्मति है लेकिन यह सर्वसम्मति हमारे शासक वर्ग को एक बहाना भी देती है जिससे कि वह अपनी असफलता को छिपा सके यह कहकर कि इस बढ़ती हुई आबादी के कारण हम आम जनता के जीवन-स्तर में सुधार नहीं ला सके। यह एक बहुत बड़ा बहाना हमारे शासक वर्ग को मिल गया है।

महोदय, यदि हम अपने ही देश में आबादी के सवाल को और उस पर नियंत्रण के कारगर तरीकों को देखें तो हमें पता चलता है कि दुनिया के तमाम देशों की तरह ही भारत में भी आबादी का विकास आर्थिक विकास के साथ-साथ हुआ है। यही विकास की प्रक्रिया है और मंत्री महोदय स्वयं एक डॉक्टर होने के नाते इसे और अच्छी तरह समझते होंगे। आर्थिक विकास के साथ-साथ खाने-पीने की वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ने, आवास की सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि नागरिक सुविधाओं के बढ़ने से एक ओर जहां मृत्यु दर घटती है, वहीं दूसरी ओर जन्म दर बढ़ती है। लेकिन इस प्रक्रिया में आगे जाकर एक बदलाव आता है और हम देखते हैं कि जन्म दर अपने आप कम होने लगती है। दुनिया के विकसित, पूंजीवादी देशों में यूरोप, अमरीका, जापान आदि तमाम देशों में आज हम यह प्रक्रिया देख रहे हैं।

महोदय, जन्म दर में कमी अनेकानेक कारकों पर निर्भर करती है और तमाम विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि इसमें एक महत्वपूर्ण कारक शिशुओं के जीवित रहने की दर है। ऐसी जीवन परिस्थितियां जहां बच्चों के जीवित रहने की संभावना कम होती है, वहां जन्म दर हमेशा ज्यादा रहती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक समाज तथा अर्थव्यवस्था में महिलाओं की स्थिति से जुड़ा है। सामंतवादी समाज में जहां महिलाओं से सिर्फ एक अच्छी गृहिणी बनने की उम्मीद की जाती है तथा उनकी आर्थिक और सामाजिक भूमिका गौण होती है, वहां औरतों की जिंदगी का एक अच्छा-खासा हिस्सा सिर्फ बच्चे पैदा करने में ही गुजर जाता है। लेकिन ठीक इसके उलट जब महिलाएं स्वतंत्र रूप से आजीविका कमाने लगती हैं, तब यह प्रक्रिया उलट जाती है। विकसित देशों में आज हम आबादी में जो नकारात्मक वृद्धि देख रहे हैं, उसका मूल कारण यही है। इन देशों में जन्म दर घट रही है और मृत्यु दर से भी घटकर बहुत कम हो गई है। लेकिन अपने देश में हम देखते हैं कि ऊंची जन्म दर और घटी हुई मृत्यु दर के कारण आबादी में बढ़ोतरी का ग्राफ लगातार ऊंचा बढ़ता जा रहा है। महोदय, आबादी नियंत्रण के महत्वपूर्ण कारकों को हम अपने देश की कसीटी पर कस कर देखते हैं तो यहां भी हम देखते हैं कि आबादी नियंत्रण में वास्तव में वहीं सफलता मिली है जहां वास्तव में विकास के जरिए आम जनता की जिंदगी में सुधार आया है। केरल का उदाहरण प्रायः दिया जाता है। यह एक ऐसा राज्य है जहां आजादी के बाद

सबसे पहले वामपंथी सरकार ने भूमि सुधार की प्रक्रिया को शुरू किया, बिना किसी आबादी नीति के भी, इसीलिए केरल में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सफलता मिली है। पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा में भी आज यही चित्र उभर कर सामने आ रहा है। महोदय, कहने का अर्थ यह है कि हमारे देश में अगर हमें आबादी नीति को सफल बनाना है तो हमें अपनी मूल सोच में बदलाव लाना होगा। परिवार नियोजन के नाम पर जबरन बंध्याकरण करके दमन मूलक उपाय करके महिलाओं को असुरक्षात्मक गर्भ निरोधक देकर आप आबादी पर नियंत्रण नहीं कर सकते। हमारे माननीय सदस्य कई प्रस्ताव दे रहे थे और उसमें इसका भी जिक्र कर रहे थे और तरह-तरह के दंड विधानों की बात कर रहे थे। एक तरफ हमारी राष्ट्रीय आबादी नीति है और दूसरी तरफ हमारी राज्य सरकारें अपने मन से कई बिल बना रही हैं जिसमें बहुत ही जनविरोधी उपाय भी अपनाए जा रहे हैं। महोदय, मैं समझती हूँ कि वास्तव में अगर आप दमन मूलक उपायों को अपनाएंगे तो कभी भी आबादी नीति सफल नहीं होगी। इसलिए मैं यह चाहूंगी कि हम अपनी इस सोच में थोड़ा सा बदलाव लाएं और इस बात को समझने की कोशिश करें कि आबादी के बढ़ने का दोष गरीबों को न दें, बल्कि गरीबी को दें और जब आप मूल कारण को समझेंगे, शायद डाक्टर साहब अच्छी तरह से समझेंगे, तभी हम अपनी नीतियों का फोकस सही जगह पर रख सकेंगे। मैं समझता हूँ कि हमें लोगों को जीने के लायक मूलभूत जीवन परिस्थितियां देनी होंगी, जीवन के मूलभूत अधिकार देने होंगे तब आप देखेंगे कि किस तरह समाज का एक नया खाका, समाज का एक नया चित्र हमारे सामने उभर कर आएगा। महोदय, अंत में, मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि एक अरब बच्ची के रूप में जन्मी भारत की आस्था तभी सार्थक होगी जब भारत का मेहनतकश वर्ग परजीवियों के जुए से मुक्त होकर सत्ता को अपने हाथ में लेगा, खुद अपने भाग्य का विधाता बनेगा और पूंजीवाद के जुए से खुद को मुक्त करेगा। उपसमाध्यक्ष जी, मैं समझती हूँ कि पूंजीवाद की कड़वी स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी गारंटी है, तब आपको गरीबी, भुखमरी और यह तमाम बीमारियां जो आप देखते हैं उस समय नहीं मिलेंगी और शायद उसी सपने में हमारे कवि केदार नाथ अग्रवाल ने कहा कि: --घर में एक हथौड़ा वाला और पैदा हुआ।

तो महोदय, वे परिस्थितियां काफी दूर हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इस विषय पर गहराई से जाकर विचार करें तभी हम शायद अपने भविष्य की चुनौतियों को सही रूप में समझ सकेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. A.R. KIDWAI (Delhi): Mr. Vice-Chairman, I am very happy that this important subject has come up for discussion. India has a large population. In spite of having a large number of natural resources and self-sufficiency in food, it cannot develop and utilise them to bring prosperity to the common people because it is unable to control its population. With a population of one billion, the matter has become very urgent and important. Therefore, the Resolution should be given serious consideration. The policy adopted for the year 2000 is to get the support of non-government organisations, corporate sector and industry to promote it as a national campaign. This is an important subject, and it cannot be delayed any further. In order to tackle the problem, it has to be dealt with on a national scale, as a national population movement.

The policy paper that has been prepared is quite comprehensive and good. But there are some deficiencies that have to be looked into. In India, now that we have adopted the Panchayat system, if we strengthen the panchayats, charge them with this task, provide them the facilities to implement this programme and also educate people about this important subject of population control, I think, it will provide the most effective mechanism to promote the population control policies.

But the other aspect that has been neglected is the utilisation of the maternity and child welfare services. It is the most effective method that goes directly to the people in the reproductive age. If the family welfare programmes are linked with the maternity and child welfare services and if the methods are advised as part of the child welfare and maternity services, then, it will be the most effective and most acceptable method.

In Bihar, the British Governors had established 29 hospitals, specifically for maternity and child welfare services. They are defunct and not in use. But three of these hospitals in Patna were activated with the help of the Department of Welfare of the Government of India, and, today, they are producing the best results. Poor people, those who cannot afford, go to these places. They are the right places where these problems can be tackled. Due to the help available from the Welfare Department in reactivating the maternity and child welfare programme, these three hospitals have become centres of activity. Even the best gynaecologists in the city gave their free time, and it attracted a lot of people. They have started producing results now. Why can the remaining 26 hospitals also not be reactivated?

Really the best approach and the right approach to provide effective child welfare and maternity services is to provide them through the child welfare and maternity programmes in all hospitals, which should be strengthened. The effect of propaganda and incentives is doubtful. But every penny spent on strengthening the maternity and child welfare services will not only provide good maternity and child welfare services but will also make it one of the most effective services to serve the community and to control the population.

We should not hesitate to introduce courses on this subject as part of the school education system or as extra courses so that every young man and woman should know how it could be done. They should be properly educated as part of education on health.

Earlier, a paper on health and hygiene was a compulsory paper in schools. It is no more so now. Such a compulsory paper is all the more necessary now, because the people will not only be able to know about population control, family welfare, but will also be able to develop their health, their capacity to work and avoid diseases, by making up the deficiencies which they may have, by taking the required nutritional diet. Therefore, revival of such a compulsory paper at the primary or secondary stage of education is all the more necessary. The family welfare programme is a serious programme, but it cannot be managed by flow of funds alone. It cannot be managed by propaganda or by giving incentives, which are generally misused. The programme should be developed on a concrete and solid basis so that the results are obvious and are beneficial to the people. I am sure, the Health Minister, who is aware of the intricacies of the programme, will re-orientate and integrate the family welfare schemes and bring the health services closer to the people. It is the only method to promote family welfare. Thank you.

**श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश):** उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरे लिये यह बहुत गंभीर विषय की बात है और सदन के लिए भी कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है पर हमारे विपक्ष के प्रमुख नेता यहां पर मौजूद नहीं हैं। महोदय, छोटी-छोटी बातों पर यहां हंगामा होता है, उनके लिए बड़ी उत्सुकता दिखायी जाती है लेकिन देश की आबादी अबाध गति से बढ़ रही है, एक अरब की जनसंख्या पार हो गयी है और अगर यह स्थिति बनी रही और स्थिति को न रोका जा सका, न कम किया जा सका तो भारत की समस्त योजनाएं ध्वस्त होने वाली हैं। न हम किसी को शिक्षा दे सकेंगे, न स्वास्थ्य दे सकेंगे, न हम पर्याप्त पोषण उपलब्ध करा सकेंगे, न हम घर दे सकेंगे और न ही वस्त्र दे सकेंगे -ऐसी गंभीर समस्या आने वाली है लेकिन हमारे विपक्ष की दूरदर्शिता तो देखिए कि इस महत्वपूर्ण चर्चा में वह अनुपस्थित सा है। ...**(व्यवधान)**... विषय की बात यह है कि जब सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी होती है..

**श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल):** आपने पक्ष में गिना नहीं कि कितने लोग बैठे हैं, विपक्ष के गिनते जा रहे हैं।

**श्री नरेन्द्र मोहन :** तो अनेक बार ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो विभाजनक बात है। यह एक श्रेष्ठतम संकल्प प्रस्तुत हुआ है और बहुत अरसे के बाद हुआ है। राज्य सभा के चैयरमैन साहब से मेरी अनेक बार चर्चा हुई और वे इस बात के लिए उत्सुक थे कि इस पर चर्चा हो। यह चर्चा अगर सरकार की ओर से कराई जाती तो और अच्छा होता। वैसे मैं जानता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री इस संबंध में बहुत चिंतित हैं और पिछले एक महीने में दो प्रमुख बैठकें वे करा चुके हैं।

जनसंख्या नीति पर पिछले दिनों जो बैठक हुई थी प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में, मैं उसके लिए उन्हें बधाई देना चाहूंगा। उसमें तो लोक सभा में विपक्ष की नेता माननीया सोनिया गांधी भी

उपस्थित थीं और उन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की थी और यहां तक कहा था कि स्थिति बहुत दर्दनाक है और हर मूल्य पर जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए ! तब था नियंत्रण, परिवार नियोजन नहीं, जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। यह नियंत्रण होगा कैसे ? क्या बातों से नियंत्रण हो जाएगा? अभी कुछ देर पहले एक माननीया सदस्या ने कहा कि हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। आप मत करिए हतोत्साहित पर क्या आप प्रोत्साहन कर रही हैं? अगर प्रोत्साहन के माध्यम से जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता होता तो अब तक हो चुका होता ! कहा गया कि समस्या की जड़ में पूंजीवाद है । अब इस प्रमुख, ज्वलन्त समस्या का भी राजनीतिकरण करने की चेष्टा की जा रही है ।  
...(व्यवधान)...

**श्री दीपांकर मुखर्जी :** इसमें राजनीति क्या है?

**श्री नरेन्द्र मोहन :** आप कृपा करके मेरी बात सुनें, आपको चिंता क्यों हो रही है ? आप बोलिएगा जब आपको बोलना होगा, अभी मुझे बोलने दीजिए मैं जो बोल रहा हूं। महोदय, मैं इस राजनीतिकरण के विरोध में हूं । यहां पूंजीवाद या समाजवाद, यह वाद या वह वाद का कोई अर्थ नहीं रह गया है । सारे वाद घरे रह जाएंगे अगर हम जनसंख्या की बढ़ती हुई वृत्ति को न रोक सकें तो । ... (व्यवधान)... मैं नहीं समझता कि विपक्ष चाहता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए यह देश वैसा ही करे जैसा कि चीन ने किया । लेकिन हां, विश्व में चीन एक मिसाल है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने में उसने पूर्ण सफलता प्राप्त की है । ... (व्यवधान)...

**श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल):** यहां इकानॉमिक डेवलपमेंट करा दो।

**श्री नरेन्द्र मोहन :** महोदय, चीन ने जनसंख्या पर नियंत्रण विकास के माध्यम से नहीं किया, डंडे के बल पर किया है, दंडात्मक कानूनों के बल पर किया है। इतने अधिक हतोत्साहन वहां दिए गए कि वह राष्ट्र बिलख उठा। अब वहां कहा जाता है कि देखिए, मेरे परिवार में 6 लोग हैं वयस्क और बच्चा केवल एक। दादा, दादी, मां-बाप और बच्चा केवल एक । छोटा बच्चा और कभी तो वह भी नहीं। आपको इस बात की भी अनुमति नहीं और दूसरा बच्चा हुआ नहीं कि सरकार की तरफ से प्रताड़ना प्रारंभ। चीन की यह स्थिति है लेकिन यह स्थिति हम भारत के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। यह अनुचित है । हम लोकतांत्रिक देश हैं इसलिए एक जागरूकता होनी चाहिए लेकिन यह जागरूकता उत्पन्न क्यों नहीं हो पा रही है? क्या भूमिका है हमारे देश के राजनीतिक दलों की? यह ठीक है कि संजय गांधी ने आवश्यकता से अधिक उत्साह दिखाया लेकिन क्या उनका उत्साह अनुचित था?

**श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान):** अब महसूस होता है।

**श्री नरेन्द्र मोहन :** क्या यह अनुचित था और अगर अनुचित नहीं था तो कम से कम कांग्रेसियों को तो यह कहना ही चाहिए कि उचित था लेकिन कांग्रेस वाले ऐसा बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। ... (व्यवधान)... देखिए, टोका-टोकी मत करिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। यह अनुचित है, अवैधानिक है, असंवैधानिक है, मर्यादा के अनुकूल नहीं है । यह आपकी अपराधवृत्ति का बोधक है, आप इससे बचिए! ... (व्यवधान)...

**श्री दीपांकर मुखर्जी :** अब राजनीति कौन कर रहा है?

**श्री संघ प्रियं गीतम (उत्तर प्रदेश):** बोलने दीजिए, बोलिए, बोलिए।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) :** चलिए, कंटीन्यू कीजिए।

**श्री नरेन्द्र मोहन :** उपसभाध्यक्ष जी, आप तो स्वयं विचारक हैं, श्रेष्ठ वक्ता हैं। अगर बात-बात पर टोका जाएगा तो विचारों की धारा टूट जाती है। महोदय, कांग्रेस ने जो संकल्प लिया था जनसंख्या नियंत्रण के लिए, वह एक अच्छा संकल्प था लेकिन उसके कुछ राजनीतिक परिणाम हुए और उनसे यह राष्ट्र घबरा गया, हमारे देश के राजनीतिक दल घबरा गए और हमें ऐसा लगा कि हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करेंगे तो समस्त राजनीति ही ध्वस्त हो जाएगी। ऐसा कुछ विचार देश में आया और अनेक वर्षों तक, 23 वर्ष तक इस देश ने फिर जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं की। शताब्दी का अंत भी हो गया फिर भी जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं की गई।

लेकिन अब न केवल शताब्दी के प्रारम्भ में पहली बार साहसपूर्वक, अत्यन्त साहस के साथ, संकल्प के साथ, हमारी सरकार ने, हमारी भाजपा की सरकार ने एक संकल्प लिया है कि हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करेंगे। यह सरकार बधाई की पात्र है। ... (व्यवधान) ... महोदय, यह जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति दी गई है, जो पिछले दिनों पारित भी हुई है, यह सभी राजनीतिक दलों के संयुक्त मंतव्य का परिचायक है। मैं चाहूंगा कि इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर एक आम सहमति के आधार पर, एक पूर्ण संकल्प के आधार पर सभी राजनीतिक दल काम करें। लेकिन क्या यह संभव होगा? महोदय, देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के राजनीतिक दलों ने अभी तक अपने चुनाव घोषणापत्रों में जनसंख्या नीति को स्थान नहीं दिया है।

**श्रीमती शबाना आजमी (नाम-निर्देशित) :** कांग्रेस ने दिया है।

**श्री नरेन्द्र मोहन :** मैं खुद कहने जा रहा हूँ कि पहले कभी नहीं दिया था। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि इस देश के सभी राजनीतिक दल यह संकल्प लें कि जनसंख्या नियंत्रण को वे अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं और अपने-अपने चुनाव घोषणापत्र में जनसंख्या नीति को समर्थन देने की घोषणा करेंगे। यह राष्ट्र के हित में है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं बचा है। इस राष्ट्र की जनसंख्या नीति का उद्देश्य जीवन में गुणात्मक सुधार करना है, राष्ट्र में विकास कार्यों को गति देना है, राष्ट्र की महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान खोजना है जो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उत्पन्न हो चुकी हैं। यह कोई साधारण कार्य नहीं है, किसी एक दल विशेष का कार्य नहीं है। इसे न वर्तमान सरकार अकेले अपने बलबूते पर कर सकती है, न कोई और कर सकता है। इसमें हमें समाज का भी सहयोग लेना होगा, राजनीतिक दलों की भूमिका तो होनी ही है। समाज के जो अन्य अंग हैं, वे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, न धार्मिक संस्थानों और संगठनों में जो आज भी भारत की मानसिकता पर छाए हुए हैं, चाहे वे हिन्दू संगठन हों, ईसाई संगठन हों, बौद्ध हों, जैन हों या इस्लामी संगठन हों, इन सभी को इस जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम में आगे आकर भाग लेना चाहिए और हमें पुरानी रूढ़िवादिता का परित्याग करना चाहिए। "पुत्रवती भव", वाला आशीर्वाद आज के युग में कितना महत्वपूर्ण है, इस पर धार्मिक नेताओं को विचार करना होगा। "बड़ पुत्रवती भव", यहां तक इस देश में कहा गया है, सौ पुत्र हों। अब उस स्थिति से काम चलने वाला नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से देश के कुछ धार्मिक संगठन राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का सार्वजनिक रूप से विरोध कर रहे हैं, वह अनुचित है।

**श्री के. रहमान खान (कर्णाटक) :** आप नाम बताइए।

4.00 P.M.

**श्री नरेन्द्र मोहन :** मैं यहां पर नाम बताकर कड़वाहट उत्पन्न नहीं करना चाहता हूं। अगर आप नाम जानने के उत्सुक हैं तो आप मुझसे मिलें, मेरे साथ एक कप चाय पीएं तो मैं अवश्य बता दूंगा। लेकिन कड़वाहट उत्पन्न करने का मेरा लक्ष्य नहीं है। महोदय, सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं और इस सदन के सम्मानित सदस्य भी जानते हैं कि धर्मशास्त्री जनसंख्या नियंत्रित करने के पूर्णरूप से विरोधी हैं और जनसंख्या नियंत्रण को घोर सामाजिक अपराध के रूप में स्वीकार करते हैं। कम से कम हिन्दू समाज ऐसा नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, कोई नकारात्मक बात नहीं बल्कि सकारात्मक बात कहना चाहूंगा, हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना ही होगा।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तीन लक्ष्य रखे गए थे : तात्कालिक लक्ष्य, मध्यम अवधि का लक्ष्य और पूर्णकालिक लक्ष्य। तात्कालिक लक्ष्य है गर्भ निरोध, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में स्वास्थ्य कमियों को दूर करना और जनसंख्या के सभी हिस्सों के लिए प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की समेकित सेवा की व्यवस्था करना। मैं तात्कालिक लक्ष्य की बात करता हूं। स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, वे यह कह कर बच निकलना चाहेंगे कि यह कार्य राज्य सरकारों का है। जनसंख्या नीति में श्रेष्ठ लक्ष्य रखा गया लेकिन राज्य सरकारें कहती हैं कि धन नहीं है, न वे बाल स्वास्थ्य की व्यवस्था करने की स्थिति में हैं, न पोषक आहार देने की स्थिति में हैं, न ऐसी कोई समेकित सेवा प्रदान करने की स्थिति में हैं जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रति, परिवार नियोजन के प्रति एक जागृति आए। यह चिंता की बात है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए या परिवार नियोजन के लिए जो धन भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को आवंटित किया जाता है उसका एक बहुत बड़ा भाग और कुछ राज्यों में तो संपूर्ण भाग दूसरी मदों में खर्च कर दिया जाता है और केंद्र कुछ नहीं कर पाता। आखिर ऐसा क्यों है? यह कितने वर्षों से होता चला जा रहा है। वर्ष दर वर्ष होता चला जा रहा है। जो अल्प राशि केंद्र द्वारा दी भी जाती है परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए वह भी राज्य खर्च नहीं कर पाते। मैं उन राज्यों का नाम नहीं लेना चाहूंगा। ऐसे पांच राज्य हैं। उपसभाध्यक्ष जी, अगर आपकी अनुमति से पांचों का नाम ले दूं तो अनुचित नहीं होगा। ये हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उपसभाध्यक्ष जी, एक प्रकार से ये राज्य जनसंख्या नीति के संदर्भ में अपराधी राज्य हैं। मैं इन्हें अपराधी राज्य की संज्ञा दूंगा। इन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए कुछ भी नहीं किया। अनेक वर्षों से कुछ भी कदम नहीं उठाए।

**श्रीमती जमुना देवी बारूपाल (राजस्थान) :** ऐसा नहीं है सर। पैसा बहुत खर्च होता है लेकिन वह आपके यहां से ही...(व्यवधान)...

**श्री संघ प्रिय गौतम :** आपके यहां तो बाल विवाह होते हैं।

**श्री नरेन्द्र मोहन :** कांग्रेस वालों को हर बात में बोलने का एक रोग सा हो गया है। हमारी बहिन शबाना जी मैं जानता हूं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए पूर्ण समर्पित हैं। उन्होंने मुंबई में श्रेष्ठ कार्य किया है, वह झुग्गी-झोंपड़ियों में जा-जाकर जागृति लाई है। ऐसी जागृति लाने के लिए राजनीतिज्ञों को काम करना चाहिए...(व्यवधान)...

**एक माननीय सदस्य :** कैसे होगा...(व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र मोहन : मैं पुनः एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप वास्तव में इस गंभीर चिंता में भाग लेना चाहते हैं तो अवश्य लें लेकिन कृपा करके बीच में टोके नहीं क्योंकि मेरी तंद्रा टूट जाती है और मैं फिर वह बात नहीं कह पाऊंगा जो मैं पूरे उत्साह के साथ कहना चाहता हूँ। मैं बहुत आदर के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि कृपा करके मेरी बात सुनिए। यह बहुत गंभीर मामला है। पाँच राज्यों में जो एक प्रकार की स्थिति बनी है इसका उन्हें अपराध बोध हो चुका है। उनके मुख्य मंत्री जब आए थे तो उन्होंने, नये मुख्य मंत्रियों ने इस बात को स्वीकार किया, उदाहरण स्वरूप मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने स्पष्ट रूप राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बैठक में कहा कि जब तक इसका हलौत्साहन नहीं होगा, कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं होगी तब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो सकता। यह अलग बात है कि इससे कोई सहमत हो या न हो लेकिन कठिनाइयाँ हैं। अगर भारत के पाँच राज्य किसी प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण के प्रति सजग हो जाएं तो जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जनसंख्या नीति के, वे पूरे हो जाएंगे। उपसभाध्यक्ष जी, श्रेष्ठतम कार्य भारत में केवल केरल में हुआ है। इसका एकमात्र कारण है वहाँ की शिक्षा की स्थिति।... और यह जो काम अच्छा हुआ है उसके लाभकारी परिणाम आएँ। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मत है (समय की घंटी) .. उपसभाध्यक्ष जी, मुझे थोड़ा समय दीजिए। इसमें समय सीमा नहीं होती।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पट्टीरी) :** समय सीमा तो होती है।

श्री नरेन्द्र मोहन : मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैंने इसका पहला ही बिन्दु लिया है तात्कालिक लक्ष्य का। उसके बाद मैं मध्यम अवधि के लक्ष्य की बात करूंगा, फिर दीर्घकालीन लक्ष्य की बात करूंगा और फिर अन्य समस्याओं की बात करूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे थोड़ा समय दिया जाए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं बैठ जाऊँ तो जैसी आप आज्ञा करें। लेकिन यह गंभीर मामला है और अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं बोल दूंगा अन्यथा जैसी आपकी आज्ञा।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पट्टीरी) :** जरा सा बोलिए।

श्री नरेन्द्र मोहन : उपसभाध्यक्ष जी, केरल ने यह सफलता पाई। इसका मूल कारण वहाँ के नागरिकों का शिक्षित होना है। शिक्षा एक ऐसा मूल मंत्र है कि एक शिक्षित आम नागरिक स्वाभाविक रूप से परिवार नियोजन के प्रति आकर्षित होता है। आज अधिकांश जनसंख्या को यह मालूम नहीं है कि देश में जनसंख्या के क्षेत्र में क्या हो रहा है, उसका दुष्परिणाम क्या होने वाला है। यह एक राष्ट्रीय जागरूकता का प्रश्न है। इस राष्ट्रीय जागरूकता की समस्या को केवल शिक्षा के माध्यम से डील किया जा सकता है। यह ठीक है और हमारे मित्रों ने आज यहाँ पर कहा कि जब तक निर्धनता है तब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो सकता है। निर्धनता एक समस्या है और एक कारण है। लेकिन मूल कारण निर्धनता नहीं है। केरल कोई धनाढ्य राज्य है मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, हरियाणा एक बड़ा धनाढ्य राज्य है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मूल कारण है कि जहाँ शिक्षा का विकास हुआ है वहाँ जनसंख्या पर नियंत्रण हुआ है। शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस की तरफ हमारे अनेक राज्य अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हैं। अस्पतालों की जो दशा है उसकी चिंता वे नहीं कर रहे हैं। जो अन्य केंद्र हैं, परिवार नियोजन केंद्र उनकी कैसी दुर्दशा है इस पर मैं क्या टिप्पणी करूँ? लेकिन उनकी वहाँ बड़ी खस्ता हालत है। इस बारे में कुछ न कहना ही सब कुछ कहना होगा। जब स्वास्थ्य मंत्री जी इसका उत्तर दें तो कम से कम राज्यों में परिवार



नियोजन केंद्रों की जो दुर्दशा है, बाल स्वास्थ्य की जो दुर्दशा है, पोषाहार की जो दुर्दशा है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें और बतायें कि आखिर उनके मन में इस समस्या का समाधान क्या है। समस्या का समाधान तो हम लोगों को खोजना ही है, इस संसद को खोजना है, माननीय सदस्यों को खोजना है और माननीय सदस्य आपको भी खोजना है। आज खोजिए या बाद में खोजिए लेकिन बिना समस्या के समाधान के जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो सकता है।

उपसभाध्यक्ष जी, इस जनसंख्या नीति की मध्यम अवधि का लक्ष्य है कि कुल प्रजनन दर को घटाकर अंतराष्ट्रीय संचालन पर तेजी से अमल के माध्यम से सन् 2010 तक प्रतिस्थापना स्तर पर लाना है। उपसभाध्यक्ष जी, आज सवेरे एक प्रश्न आने वाला था लेकिन नहीं आ सका। वह प्रश्न मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। प्रश्न जनसंख्या वृद्धि पर था। प्रश्न था कि "क्या गैर-सरकारी संगठनों तथा अलग-अलग व्यक्तियों के अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अत्यधिक व्यय वाले नियोजित कार्यक्रमों के बावजूद, जनसंख्या नियंत्रण अभियान के विफल रहने के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है, यदि हाँ, तो उसका परिणाम क्या रहा है।"

महोदय, सरकार ने जनसंख्या के बारे में जो अध्ययन कराया है इसके बारे में इस में दिए गए उत्तर को मैं पढ़ना चाहूँगा। श्रीमन्, इसका सदन में जो उत्तर दिया गया वह यह है कि नमूना पंजीयन पद्धति के परिणामों से पता चलता है कि देश में जन्म दर 1951 में 40.8 से घटकर 1998 में 26.5 हो गई थी, कुल प्रजनन दर जो 1951 में 6.0 थी कम होकर 1997 में 3.3 रह गयी थी और जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि दर वर्ष 1998 के दौरान कम होकर 1.75 प्रतिशत हो गयी है। जन्म दर में यह कमी देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण हुई है ऐसा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का विचार है। लेकिन इससे मैं सहमत नहीं हूँ, स्वास्थ्य मंत्री के इन विचारों से उपसभाध्यक्ष जी, मैं तनिक भी सहमत नहीं हूँ। केंद्र सरकार के इन विचारों से कि देश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो गयी हैं, मैं तनिक भी सहमत नहीं हूँ। सच यह है कि देश में स्वास्थ्य सेवाएं गिरती जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति तो यह है कि वहाँ डाक्टर तक नहीं हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि एक गलत सूचना संसद को दी गयी। यह एक धिंता की बात है। सरकार को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन कहा गया और फिर आगे कहा कि "वर्तमान में जनसंख्या इन कारणों से तेजी से बढ़ रही है"। कारण बताए गए। एक कारण बताया गया कि जनसंख्या के बड़े भाग का प्रजनन आयु समूह में होना है। अब बताइए यांनी इनका कहना है कि अनुमानतः देश की जनसंख्या का लगभग 60 प्रतिशत ऐसा है जो कि परिवार नियोजन के प्रति जागरूक नहीं है। पहली बात यह आंकड़ा कहाँ से मिला? ये कहते हैं कि हमने सर्वे कराया उससे मिला। यह आंकड़ा और भी अधिक बड़ा होगा। जो लोग प्रजनन के वर्ग में आते हैं उनका, मैं समझता हूँ कि 90 प्रतिशत भी परिवार नियोजन कार्यक्रम की जो गंभीर समस्याएं हैं और जो स्थिति है उससे परिचित नहीं हैं। इस देश में 35 करोड़ लोग ऐसे हैं उपसभाध्यक्ष जी, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जिन्हें यही नहीं मालूम कि परिवार नियोजन क्या है, जनसंख्या नीति क्या है। क्या हैं गर्भ निरोधक? यह तो स्वीकार करते हैं, हमारी सरकार स्वीकार करती है कि गर्भ निरोधन की पूरी न हुई जरूरतों के कारण उच्च प्रजननता है यानी गर्भ निरोधन के लिए जो आवश्यक उपकरण हैं वे जनता को सुलभ नहीं हैं, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। यह सरकार का मत है। बात सही है। लेकिन सुलभ कौन कराएगा? कैसे सुलभ होंगे? जनसंख्या नीति में इसकी व्यवस्था है। लेकिन केवल व्यवस्था होने से ये उपकरण सुलभ होने वाले नहीं हैं।

तीसरी बात बतायी कि व्याप्त नवजात मृत्युदर के उच्च होने के कारण प्रजननता की अधिक इच्छा होना है। यह बात बिल्कुल सही है ... (समय की घंटी)

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचीरी) : समाप्त करिए।

श्री नरेन्द्र मोहन : हमारे देश में बाल मृत्युदर इतनी अधिक क्यों है?

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचीरी) : आपके 25 मिनट हो गए हैं।

श्री नरेन्द्र मोहन : मैं 5-7 मिनट में खत्म कर दूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचीरी) : आप समय सीमा पूछ रहे थे। रूल 161 के तहत जो सदस्य रिजोल्यूशन पर बोलते हैं वे 15 मिनट तक ही बोल सकते हैं।

श्री नरेन्द्र मोहन : अच्छा आप मुझे केवल पांच मिनट का समय और दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचीरी) : आपके 25 मिनट हो गए हैं।

श्री नरेन्द्र मोहन : मैं खत्म कर रहा हूँ। मुझे खत्म कर लेने दीजिए। रूल्स तो आपके लिए बनेते जाएंगे। बहुमत में तो आप हैं।

यह जो व्याप्त नवजात शिशु की मृत्युदर है, यह बढ़ी हुई है। लोगों को भय रहता है कि पता नहीं हमारा शिशु जीवित भी रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए इसके कारण एक से अधिक संतानें देश में होती हैं। यह काल्पनिक भय नहीं है। यह वास्तविक भय है। इस भय का समाधान खोजना होगा और भय का भूत बहुत बड़ा भूत होता है। जनसंख्या नियंत्रण में यह बहुत बड़ी बाधा है।

जहां तक दीर्घकालिक लक्ष्य हैं वे तो तब पूरे होंगे जबकि तात्कालिक लक्ष्य और मध्यम अवधि के लक्ष्य पूरे हो जाएं और इनकी संभावना मुझे तब तक दिखाई नहीं देती है जब तक राज्य सरकारों का सहयोग नहीं मिलता, पूर्ण सहयोग नहीं मिलता। दुनिया की आबादी का 16 प्रतिशत भारत में है और उसके पास जमीन है केवल 2.4 प्रतिशत। कैसे होगा इसका समाधान? कैसे होगा उपसभाध्यक्षजी? हम इसकी चर्चा भी ठीक से नहीं करना चाहते हैं। ठीक है हमारे पास समय सीमाएं हैं। मैं जानता हूँ। मैं नहीं चर्चा करूँ, मेरे अन्य साथी चर्चा करें। लेकिन चर्चा तो करें। गंभीरता से तो लें। राष्ट्र को विश्वास में तो लें। एक संदेश तो पहुंचाएं। घर-घर पहुंचाएं कि कैसे हम परिवार नियोजन करेंगे और नहीं करेंगे तो क्या दुष्परिणाम होंगे।

उपसभाध्यक्ष जी, आपने कृपा करके मुझे समय दिया मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ।

SHRIMATI SHABANA AZMI (Nominated): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak. I rise in support of the views expressed by Shrimati Sarla Maheshwari. It is also one of the rare instances when I support the views expressed by Shri Narendra Mohan. I share his disappointment, which he expressed in his opening remarks, that only a marginal number of people are present in the House when we are debating and discussing such an important issue. I wonder how this issue will get the consideration it deserves, if we have only a very few people present here. Sir, as a member of the National Commission on Population and as

the United Nations Ambassador on Population and Development, I want to make here a few submissions. India was one of the 180 nations who was a signatory to the International Conference on Population and Development in 1984 in Cairo. As a result of which in October 1997, we came up with a very good, reproductive child health policy. Unfortunately, however, that policy remained a closely guarded secret. I am certain that if a survey were conducted in Parliament, we would realise that most of the hon. Members of Parliament had no idea as to what the policy was. I fear, Sir, that the same situation might apply when it comes to the National Population Policy. After many deliberations and great debates and a lot of thought, we finally have a very good policy in place. I think the Government is serious about it. The Ministry is serious about it. It is very interesting to note that a couple of days ago, there was a question on population in Parliament. To my surprise, a very detailed answer was given by the Ministry which is the opposite of most of the answers given. I congratulate the Ministry. I share the view that they are concerned about it. But, Sir, no policy can be effective if it remains as a good policy only on paper. We have to make sure that the mechanisms of implementation are put in place and that is the question that I need to put. First of all, this policy needs to be congratulated on the fact that it has done away with disincentives. It has, instead, focused on empowerment of women; improving the quality of care; bringing awareness on spacing of children; involving male participation and many other things. Today, when we are saying that this Population Policy will not become a reality in our country until and unless we make it a people's campaign, it is extremely important that we, as Members of Parliament, first internalise what this policy is about. I think we have not internalised it. That is expressed in the fact that we still use the word 'control' when we are talking about population stabilisation, we are still talking about disincentives. Time and again, the question of disincentives comes up. What I would like to ask the hon. Minister is this. What is the Government's view when States take up a position on disincentives which is different from that expressed in the National Population Policy. It is very unfortunate that States like Madhya Pradesh already have legislations which say that people will be barred from standing in elections at the Panchayat level if they have more than two children after January 2001. Himachal Pradesh and Rajasthan have already endorsed it. I think this is a very sad state of affairs. Firstly, it is in conflict with the fresh National Population Policy. Secondly, I think such a measure violates the Constitution and is against the rights of women. It is evident that in our society women do not

decide the number of children they are going to have. They have absolutely no say in this matter. By insisting on a legislation like that, you are further denying women an opportunity to get into politics. On the one hand, we are talking about empowerment of women and on the other hand, we are putting into place a legislation which is going to further disallow women from participating in the political process. So this is a very, very disturbing element that has been expressed by certain States. I wish to know as to what the Centre is going to do since this is in conflict with the policy that the Centre has announced.

When it comes to the policy, as expressed on paper, it is good; it stresses on quality of service, safe motherhood, controlling infant mortality and maternal mortality, male participation, creating awareness on the advantage of spacing children, having a small family and so on. But how is it going to happen? At what level is it going to happen? At the micro level, what do we intend to do about it? Much has been said about using the Panchayats and much has been said as to how the Panchayats and Zilla Parishads will be involved; how the ANMs will be involved; how the primary health centres will be involved. The fact was that when independent surveys were conducted, it had been found different. The ANMs simply do not have the means of reaching the far-flung areas because they have no means of transport. Very often, they don't have the basic essential drugs that are required. On the other hand, the recipients say that they cannot use the primary sub-centres because they don't even know when they are open; they open them at any time. So, at the micro level, there are all these considerations. There is also a distrust among the people. I was recently in a village where I asked an ANM: "What has been her experience?" She said, "One of the most successful programmes has been the polio immunisation programme and even in that programme, there is such a distrust of Government services that when two times the Government officers came forward with the programme, they welcomed it, but the third time there was this feeling of distrust. आखिर बात क्या है कि आप बार-बार हमारे पास आ रहे हैं और उन को ऐसा लगा कि शायद इस में कुछ फेमिली प्लानिंग की बात है। अब जहाँ एंटीकोक्सिफायर इतने डिस्ट्रेस का है तो वहाँ हम किस तरह से इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।"

जहाँ तक सेफ मदरहुड का सवाल है, it is a crime shame that the number of women who die of pregnancy-related diseases, of pregnancy-related issues, in one week in India is more than in all of Europe in a whole year. In actual terms, the experts in the fields have said that 70 per cent of these deaths

are entirely preventable by taking very small measures such as giving them tetanus shots, making sure that they get iron tablets for controlling their anemia, and giving them pre-natal and post-natal care. These are entirely preventable things. Now, unfortunately, in our country, this is not an emotive issue; the death of mothers during pregnancy is not an emotional issue. If this is not an emotional issue, then what else should become an emotional issue? Shall I take the same statistics and give it to you in another way? The number of women who die in one year in India due to pregnancy-related issues would be the same if we had 300 airplane crashes a year. Can you imagine if this is what we were to give in the newspapers, then the entire Government would fall? So, when it comes to women and their health, nobody makes it an emotive issue. Unless it becomes an emotive issue, it will not become a people's campaign; it will not become internalised amongst us. That is why health and, particularly, women's health, has to be put on the agenda. Now, there are views expressed constantly that we have to control the total fertility rate, that we have to somehow or the other bring down the total fertility rate. And often enough, China is given as an example. Firstly, we are a different Government from China and, of course, we cannot have that kind of controls that China has. And in spite of that, you have to understand that there is this feeling that if you can somehow bring down the total fertility rate, then, you are automatically going to reduce poverty. But then let us look at the figures; let us look at a country like Bangladesh which has reduced its total fertility rate by half in the last 10 years, and yet it continues to be amongst the poorest countries in the world. Unless China had not invested simultaneously in the social sector, invested in education, invested in the health sector, it would not have had the kind of achievement that it has now. So we have to make a simultaneous investment in the social sector. Sir, it is true that on 11<sup>th</sup> May, the population of India became 1 billion which means that every sixth person in the world is an Indian.

This rings alarm bells in us. We look upon it like a time-bomb ticking away and, of course, the reaction is that somehow or the other we have to control this. This is a dangerous view-point. What we are saying and what the National Policy on Population is saying is that there has to be a multi-pronged approach towards the population problem. Disincentives and controls are not going to work. They haven't worked in any other country. We have the best examples in our own country within the States of Kerala, Tamil Nadu and Goa. Let us look at those examples and follow those examples. Let us not keep talking about controls, or disincentives.

Let us also understand that there is an inbuilt momentum, at the moment. There are 240 million people in the age group of 10-24 and if they have even one child each, which they have the right to, we are still not going to be able to stabilise our population at the rate at which we want to. That is why it is important that we have this multi-pronged attack on this issue, we understand it in all its complexity and, absolutely, do not allow talks on disincentives and, particularly, the view that people will be debarred from standing for elections if they have more than two children.

**श्री मूलचन्द मीणा:** उपसभाध्यक्ष महोदय, बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए जो यह रेजोल्यूशन पेश किया गया है, उससे यह सदन और सारे देश की जनता भी सहमत है। इसका मूल कारण यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ऐसे कार्यक्रम नहीं बनाए गए जिनसे कि इसे रोका जा सके। हमारे पड़ोसी देश चीन को हम लें, तो 1980 में जब हमारे देश की जनसंख्या 68.7 करोड़ थी तो चीन की जनसंख्या 98.1 करोड़ थी लेकिन अब जहां हमारी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा है, वहीं चीन की जनसंख्या का प्रतिशत घटा है। वहां एक सफल कार्यक्रम जनसंख्या को रोकने के लिए लाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वहां जनसंख्या की दर में गिरावट आई है। हमारे यहां जनसंख्या को रोकने के लिए जो परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया गया, वह विफल रहा और उसकी विफलता के दो कारण हैं - अशिक्षा और गरीबी। इस देश के अंदर जो कार्यक्रम लाए गए, वे अशिक्षा के कारण देश के लोगों में प्रचारित नहीं हुए, हम लोगों को उसके उद्देश्य नहीं बता पाए और यह नहीं बता पाए कि किस प्रकार से यह कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक है। जनसंख्या की वृद्धि का एक अन्य कारण रहा राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। किसी भी दल ने यह इच्छा-शक्ति प्रकट नहीं की कि देश की जनसंख्या को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं, न किसी नेता ने ऐसे कदम उठाए। केवल एक नेता इस देश में हुए जिन्होंने जनसंख्या के कार्यक्रम को रोकने के लिए इच्छा-शक्ति दिखाई और वे थे श्री संजय गांधी। उन्होंने कोशिश की थी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, लेकिन उसका हमारे राजनीतिक दलों ने, जो जनसंख्या रोकने में इच्छा-शक्ति नहीं रखते थे, फायदा उठाया और उन्होंने फायदा यह उठाया कि श्री संजय गांधी, जो जनसंख्या के कार्यक्रम को अच्छे ढंग से चला रहे थे, उन्होंने इस कार्यक्रम का सहारा लिया और सरकार में परिवर्तन हो गया जनसंख्या कार्यक्रम के आधार पर। आज जनसंख्या के कार्यक्रम को लेकर सारे दल सोच रहे हैं कि यदि इसी तरह से देश की जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले 50 सालों में इस देश की जनसंख्या 1,53,00,00,000 हो जाएगी। आज चीन की जनसंख्या जो 1,20,00,00,000 है, यदि यही हाल रहा तो हम चीन की जनसंख्या को भी बहुत जल्दी पार कर जाएंगे और चीन से आगे बढ़ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस वृद्धि का सबसे बड़ा कारण यह रहा कि हिन्दुस्तान में परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम दिया गया - दो या तीन बच्चे - उसको हम कारगर ढंग से इस देश में सफल नहीं कर पाए।

महोदय, चीन में कार्यक्रम दिया गया - एक बच्चे से अधिक नहीं और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उस कार्यक्रम को सफल बनाया और आज वह कार्यक्रम चीन के अंदर चल रहा है। दूसरी ओर हमारा कार्यक्रम, हमारी इच्छा शक्ति क्या रही? महोदय, इस देश के राजनीतिक दल के लोगों, इस देश के नेताओं, कर्णधारों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना कोई विशेष

योगदान नहीं दिया। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि जिस प्रकार चीन में परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल हुआ है, उसी तरीके का कार्यक्रम इस देश में दिया जाए ताकि यह सफल हो सके। इसकी सफलता के लिए हमें राजनीतिक दलों के एम.एल.ए., एम.पी. या और जो भी राजनीतिक पोस्ट्स हैं, उनके लिए 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान कर देना चाहिए। दूसरा जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं, यदि वे 2 से अधिक बच्चे पैदा करते हैं तो उनको सरकारी नौकरी से निकाल देना चाहिए या उन्हें पदोन्नति नहीं देनी चाहिए। जब तक हम स्ट्रॉंग तरीके से इस कार्यक्रम को नहीं चलाएंगे, तब तक यह सफल नहीं हो सकता।

महोदय, इस देश में गरीबी का मूल कारण यह है कि हमने यहां परिवार नियोजन कार्यक्रम ठीक ढंग से लागू नहीं किए हैं। एक समय था जब किसान के पास 100 बीघा जमीन थी। उसके 10 बच्चे हो गए तो वह जमीन 10 बच्चों में बंट गई और एक-एक के पास 10 बीघा जमीन रह गई। फिर हरेक के 10-10 बच्चे हो गए तो वह जमीन बंटकर एक-एक बीघा रह गई। आज स्थिति यह हो रही है कि देश के अंदर भ्रष्टाचार और तमाम तरह के अपराध हो रहे हैं। यह सब बेरोजगारी के कारण हुआ है। इस देश का जो नवयुवक है, उसको जब रोजगार नहीं मिलता है, खाने के लिए और ऐशो-आराम के लिए साधन नहीं मिलते हैं तो वह अपराध करने लगता है, गैंग बना लेता है। आज अक्सर हम सुनते हैं कि बिहार के अंदर किसी गैंग ने इतने लोगों को मार दिया। आज जनसंख्या बढ़ रही है और लोगों को अपना जीवनयापन करने के लिए पूरे साधन नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए ये गैंग बन रहे हैं और लोग आज अपराध का रास्ता अपना रहे हैं। आज जब कोई घर से बाहर निकलता है तो घरवालों को यह विश्वास नहीं होता कि यह लौटकर आएगा या नहीं। इस प्रकार की हालत आज देश के अंदर हो रही है। एक जमाना था जब आप रात के समय भी बाहर निकल सकते थे। कोई रोकटोक नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई झंझट नहीं था, कोई लूट नहीं लेता था, न मारे जाने का डर था। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज यदि हम रात के समय किसी भी रास्ते पर निकलते हैं तो सोचते हैं कि रात में जाएं या न जाएं और यदि जाएं तो साधन साथ में लेकर जाएं, हथियार लेकर जाएं ताकि जरूरत पड़ने पर हम अपनी रक्षा कर सकें। ऐसी स्थिति आज बन गई है। इसलिए आज इस जनसंख्या के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप जो भी स्ट्रॉंग कदम उठा सकें, उठाने की कोशिश करें क्योंकि यदि इस देश को आपको आगे ले जाना है तो यह आवश्यक हो गया है कि आबादी के बढ़ने पर हम नियंत्रण करें।

हमारी जनसंख्या का कार्यक्रम इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि पहले जो अशिक्षित लोग थे, उनमें एक धार्मिक भावना फैलाई जाती थी और गांवों के अंदर आज भी यह बात प्रचलित है कि ईश्वर यदि हमें बच्चे देता है तो राज्य उसको क्यों रोकता है? इसलिए हमें टी.वी. के कार्यक्रमों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, समाचारपत्रों के माध्यम से एक अभियान के रूप में इस कार्यक्रम को चलाना पड़ेगा तब जाकर कहीं हम इसमें सफलता हासिल कर पाएंगे वरना यहां भुखमरी और बेरोजगारी का राज चलता रहेगा। हम जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन उसके निर्वह के लिए हम साधन उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। आज हमारे सामने समस्या पैदा हो गई है खाने के सामान की, पीने के पानी की। आज जनसंख्या इतनी तेज गति से बढ़ रही है कि उसके खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। उनके लिए हमें ये साधन जुटाने

पढ़ेंगे और इसके लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा। तब जाकर हम देश के लोगों की आवश्यकताओं का निर्वाह करके देश को आगे बढ़ा पाएंगे। महोदय, इस जनसंख्या को रोकने का कार्यक्रम 200 वर्ष पहले से चल रहा है। आज जब हम बात करते हैं तो इसको भी हमें गौर से देखना चाहिए कि हिन्दुस्तान की जनसंख्या इस तरीके से बढ़ती गई तो गुंडा राज, आतंक राज जैसा इस देश में फैल जाएगा। हम उनके खाने की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। जब हम उनके खाने-पीने की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो लोग क्या करेंगे ---लूट खसोट करेंगे, एक दूसरे की हत्याएं करेंगे, एक दूसरे में आतंक पैदा करेंगे। इसलिए उनकी चिंता पर भी हमको गौर करना चाहिए।

अभी राजस्थान की चर्चा हो रही थी। मैं राजस्थान की सरकार को इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने ऐसा आदेश निकाला है कि पंचायत राज के अंदर पंच, सरपंच और जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव वही आदमी लड़ सकता है जिसके दो बच्चे हैं और जिसने दो बच्चों से अधिक बच्चे पैदा किए हों उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। पंचायत के सरपंच के अगर दो बच्चों के बाद तीसरा बच्चा पैदा हो गया तो 1993 के बाद अगर एक बच्चा भी बढ़ गया तो उसको अयोग्य घोषित कर देते हैं। राजस्थान की सरकार ने इस स्ट्रॉंग कार्यक्रम को लिया है। आज पंचायतों के अंदर यह कार्यक्रम लागू किया है। विधान सभा, राज्य सभा और लोक सभा के अंदर भी वैसे ही कार्यक्रम लागू करना चाहिए जिस प्रकार पंचायतों में लागू किया गया है। गांव के लोग, गरीब लोग यह सोच कर उदाहरण के रूप में कहते हैं कि एक-एक एम.पी., एम.एल.ए., मंत्री या चीफ मिनिस्टर के ग्यारह-ग्यारह बच्चे हो जाएं और 11 बच्चे वाले चीफ मिनिस्टर बन जाएं, 11 बच्चे वाले मिनिस्टर बन जाएं और देश के नेता बन जाएं तो तब गांव के लोग क्या सोचेंगे।...(व्यवधान)...

**श्रीमती बिम्बा शायकर (कर्णाटक):** जिनके बारह-बारह बच्चे हैं वे इधर फैमिली प्लानिंग पर बात करते हैं। जिनके तीन बच्चे हैं उनको यहां बात करने का मौका नहीं देना चाहिए। जब वे अपने बच्चों को समझाएंगे कि खाली दो बच्चे होने हैं तो वह बच्चा पूछेगा कि पिताजी, आपने क्या किया। इसलिए यह बताएं कि इनके कितने बच्चे हैं?

**श्री मूलचन्द मीणा :** मेरे दो ही बच्चे हैं और पहले के हैं, अब के नहीं हैं 1990 तक के हैं। मेरे भाई के भी दो बच्चे हैं, मेरे फादर के भी हम दो थे, मेरे फादर एक थे।...(व्यवधान)... मैं बतला रहा हूँ जो स्थिति है।

यहां पर मैंने संजय गांधी का नाम इसलिए लिया था कि उस व्यक्ति में इच्छा शक्ति थी। उसने इस कार्यक्रम को स्ट्रॉंग रूप में लिया लेकिन उसका दुष्परिणाम निकला। इस देश के लोगों ने, राजनीतिक इच्छा शक्ति रखने वाले लोगों ने उसका गलत प्रचार करके और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जनसंख्या को रोकने की बजाय कुर्सी की इच्छा से उस कार्यक्रम को रोक। मैं मानता हूँ कि अगर संजय गांधी होते और वह कार्यक्रम बरकरार रहता और सरकार उसकी होती तो वह दस साल में जो जनसंख्या वृद्धि की बात यहां पर की जा रही है वह बात करने का हमको मौका नहीं मिलता। लेकिन आज हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कुछ मजबूत मापदंड की स्थापना करनी पड़ेगी, तब जाकर हम इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। इस दुनिया के अंदर जनसंख्या के मामले में आज सबसे बड़ा देश चीन को कहा जाता है। कुछ दिनों के बाद हिन्दुस्तान को कहना शुरू हो जाएगा कि हिन्दुस्तान सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है।



श्रीमन्, यहां खाद्यान्न, दूसरी सामग्री जो भी आवश्यकता की चीजें हैं उनकी यहां कमी नहीं है, कमी है सिर्फ साधनों की। हमारे पास साधन नहीं हैं। क्योंकि गरीबी का एक कलंक हमारे देश के लोगों के साथ लगा हुआ है कि हम गरीबी से छुटकारा नहीं पा सकते। उस खाद्यान्न का, उस सामग्री का दोहन हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जनसंख्या एक ऐसा रोग है जिसको भित्ताने के लिए, जनसंख्या को रोकने के लिए हमें कोई कदम उठाना पड़ेगा तब जाकर हम शक्तिशाली राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं और तब कहीं जाकर हिन्दुस्तान एक शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा और यह तभी बन सकता है जब हम इस पर विशेष जोर देंगे। इसको रोकने के लिए इसके अन्दर जो सुझाव आए हैं, उन्होंने जो बातें कहीं हैं वे बहुत अच्छी हैं। ज्यादा जनसंख्या से हिन्दुस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। जनसंख्या के नाम पर सामाजिक विषमता की भावना पैदा की जाती रही है। कहीं असमानता की बात पैदा की जाती रही है। इन भावनाओं को पैदा करने वाले धार्मिक लोग हैं। धार्मिक लोगों का सबसे ज्यादा योगदान जनसंख्या बढ़ाने में रहा है, वह चाहे किसी भी धर्म के लोग हों। कई लोग तो ऐसे हैं जो चुपचाप परिवार नियोजन करवा आते हैं और सामने नहीं कहते हैं कि हमने परिवार नियोजन करवा लिया है। आज परिवार नियोजन की बहुत आवश्यकता है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि धार्मिक लोग इस प्रकार की बातों में विश्वास करते हैं। वे लोगों को परिवार नियोजन करने से क्यों रोकते हैं। उन्हें भी सोचना चाहिए कि देश की एकता के लिए, देश को मजबूत करने के लिए परिवार नियोजन के कार्यक्रम में धार्मिक भावना न फैलाएँ। जनसंख्या वृद्धि को रोकने से देश मजबूत होगा। उन्हें लोगों को शिक्षा देनी चाहिए कि देश की रक्षा के लिए, मानवता के लिए परिवार नियोजन के कार्यक्रम को सफल बनायें। वे इस कार्यक्रम में अपना योगदान दें तो और भी अच्छा होगा। इस प्रकार की भावना वे समाज के अन्दर पैदा करें। धर्म के नाम पर किसी को परिवार नियोजन करने से नहीं रोका जाना चाहिए। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री फोतेदार जी इस संबंध में एक बिल लाए थे कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें जनप्रतिनिधि बनने से रोका जाना चाहिए। इसमें सरपंच से लेकर सांसद बनने वाले सभी लोग शामिल थे, लेकिन हमारे कुछ साथियों के द्वारा उसका विरोध किया गया जिसके कारण वह कानून नहीं बन पाया था। मंत्री महोदय आप जनसंख्या को रोकने के लिए इस बात को इसमें अवश्य शामिल करें। जब सांसद के ऊपर परिवार नियोजन का कार्यक्रम लागू होगा तो गांव के लोगों में इसकी चर्चा होगी कि सरकार इस कार्यक्रम को क्यों लागू करना चाहती है। सरकार क्यों दो से अधिक बच्चे वालों को सांसद बनने से रोकने की बात करती है? इससे इस कार्यक्रम का प्रचार जनता में होगा।

उपसभाध्यक्ष जी, जब हम परिवार नियोजन के कार्यक्रम की बात करते हैं तो अस्पतालों के जो आंकड़े होते हैं वे फर्जी आंकड़े होते हैं। कुछ डाक्टर अपना नाम, अपनी पोस्टिंग अस्पतालों में या डिसपेंसरियों में रखने के लिए परिवार नियोजन के आंकड़े प्रस्तुत कर देते हैं कि इस एरिया में हमने इतने परिवार नियोजन के कार्यक्रम कर दिए हैं और इतने लोगों को परिवार नियोजन से जोड़ दिया है। देश अब तक आंकड़ों के आधार पर चलता रहा है और सरकार भी आंकड़ों पर चलती है। हमें उन आंकड़ों की वास्तविकता की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि ये आंकड़े सही हैं या गलत हैं। हम इस तरफ ध्यान देंगे तभी हम इस कार्यक्रम को सफल बना पायेंगे। इस कार्यक्रम को स्ट्रॉंग करने के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे सरकारी नौकरी करने वालों को नौकरी से वंचित करना पड़े, चाहे किसी नेता को अपने पद से वंचित करना पड़े, चाहे किसी सांसद से लेकर सरपंच तक किसी भी व्यक्ति को अपने पद से वंचित करना पड़े।

सरकार की ओर से गरीबों को सुविधा दी जाती है। लोगों को राहत दी जाती है। हम राहत की सुविधा देने में भी इस कार्यक्रम को लागू करें। जिनके दो बच्चे हैं उन्हें ही सरकार द्वारा राहत दी जानी चाहिए और जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें कोई भी सुविधा नहीं दी जानी चाहिए, यह चाहे बैंकों से लोन की सुविधा हो, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को सहायता दी जाती है। इससे इस देश के अंदर एक अच्छा माहौल बनेगा। जनसंख्या रोकने के लिए एक अच्छा कार्यक्रम बनाया जाए, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, पिछले शुक्रवार को आपके द्वारा एक निजी विधेयक पर चर्चा के समय, जो बेरोजगारों को रोजगार देने के संबंध में था, मैंने अपने विचार व्यक्त किए थे। उसमें मैंने इस विषय को भी थोड़ा छुआ था। उसमें मैंने कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत किए थे। हमारे देश के निर्माताओं की चिन्ता को भी मैंने उसमें उद्धृत किया था। बढ़ती हुई आबादी की चिन्ता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, सरोजनी नायडू, रवीन्द्र नाथ टैगोर, पंडित जवाहर लाल नेहरू और 1938 में डा. अम्बेडकर को हुई। यह विषय बहुत गंभीर है लेकिन परेशानी यह है कि इस सदन में वैसे तो हर विषय गंभीर होता है, पर जो विषय गंभीर न हो, उसको भी गंभीर कहकर गंभीर विषय की गंभीरता को कम कर दिया जाता है। महोदय, यह विषय वास्तव में गंभीर है लेकिन जो इसे गंभीर विषय कहते हैं, वे धले भी जाते हैं, वे इसने गंभीर हैं। हमने इस विषय की गंभीरता को कम कर दिया है। मैं भ्रष्टा, शैली, प्रस्तुतिकरण, शब्दों के जाल, आंकड़ेबाजी, पुस्तकों का प्रकाशन आदि में न जाकर सामाजिक और व्यवहारिक पहलु पर कुछ समीक्षा कर, कुछ संदर्भ देकर केवल अपने कुछ सुझाव दूंगा। महोदय, एक बात से मैं सहमत हूँ जो अभी श्री मूलचंद मीणा जी ने कही कि राजनैतिक दलों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कोई यह कहे कि इच्छा शक्ति से हानि होती है, ऐसा नहीं है। 1975-77 के बीच में नसबन्दी और आपातकालीन स्थिति का प्रभाव उत्तरी भारत में तो पड़ा लेकिन दक्षिणी भारत में लेश मात्र भी नहीं पड़ा। जहां श्रीमती इंदिरा गांधी की पार्टी 9 राज्यों में पूरी तरह से साफ हो गयी, वहीं 150 एम.पी. दक्षिणी राज्यों से जनता पार्टी को पूरी तरह परास्त करके जीतकर आए थे। वहां पर कोई असर नहीं हुआ। इच्छा शक्ति के दोनों पहलू होते हैं। यह बात नहीं है कि उससे हानि ही होती है। थोड़ी सी राजनैतिक ईमानदारी बरतनी चाहिए - आपने एक बात अच्छी कही। मैं राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करता हूँ। जब मैरो सिंह शेखावत की सरकार थी और वह मुख्य मंत्री थे तब राजस्थान में यह कार्यक्रम लागू हुआ, तब पंचायतों के चुनाव होने थे। जिनके दो बच्चों से ज्यादा थे, उनको टिकिट नहीं दिया गया और उनके 75 परसेंट लोग पंचायतों में जीतकर आए। कोई कुप्रभाव नहीं हुआ - इस इच्छा शक्ति का। तो आपकी इस बात को मैं सपोर्ट करता हूँ कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दूसरे, संविधान का अनुपालन होना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी के ही राज में संविधान में एक संशोधन हुआ था और धारा 51-ए जोड़ी गयी थी। महोदय, अधिकार तो सबके हैं, यहां हर कोई सदस्य यह कहता है कि यह मेरा निजी अधिकार है, मुझे मेरे निजी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन 51-ए में हरेक का कर्तव्य निर्धारित किया गया है, इसमें प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य निर्धारित किया गया है और इस धारा 51-ए की उप धारा "एच" में कहा गया है कि "भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।" यह ज्यादा बच्चों की परम्परा पाखंड, आडम्बर, डोंग, अंधविश्वास, कुरीतियों, कुचलन और कुमान्यताओं के कारण है। जैसे आपके राजस्थान में आज भी अक्खा तीज को हजारों अल्प वयस्कों के विवाह हो जाते हैं और आप लोग बेचारे लाचार हैं। वहां आदिवासियों में जो मीणा लोग हैं, जो आपकी

बिरादरी के हैं, उनके बाल विवाह होते हैं लेकिन आप लोग लाचार हैं। तो आपकी इच्छा शक्ति कहां है ? महोदय, इसमें लिखा है कि हम सांइटिफिक टैम्पर-वैज्ञानिक विचार डेवलप करें। यह हमारा कर्तव्य है। इससे प्रत्येक नागरिक बंधा हुआ है - चाहे वह सांसद है, चाहे वह विधायक है, चाहे राजनीतिक दल का पदाधिकारी या कार्यकर्ता है - संविधान का अनुपालन होना चाहिए। तीसरी चीज, जो सरकारों के निर्णय होते हैं, उनका कार्यान्वयन होना चाहिए। निर्णयों का कार्यान्वयन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रचार होना चाहिए। महोदय, मैं पांच साल तक आर्य समाज का प्रचारक रहा था, उस समय गौ हत्या होती थी।...(व्यवधान)...

आपके लिए भी मुझे एक बात कहनी है क्योंकि बहुत से साधु आ गए हैं लोक सभा और राज्य सभा में। अच्छी बात है लेकिन उनके बारे में भी मैं कहूंगा। तो आर्य समाज के प्रचारक, कबीरपंथी प्रचारक जब गो-हत्या होती थी तो ढोलक, मंजीरा और बाजा लेकर गाते थे गांव-गांव में - "कहां गई ऋषियों की सन्तान, गउएं रुदन मचाती रहीं", "गउओं की रक्षा करो"। कबीरपंथी प्रचारक कहते थे - "मास, मदिरा कोई मत खाओ"। गांवों में प्रचारक जाते थे, मुस्लिम मोहल्लों में तबलीग करते थे - "कोई बुरा काम मत करो, अल्लाह पर यकीन करो, कुरान पर यकीन करो"। आज न तो वे कबीरपंथी प्रचारक रहे, न वे आर्यसमाजी प्रचारक रहे और आज मुस्लिम मोहल्ले उस तरह के नहीं रहे। पहले जितने साधु-संत, संन्यासी लोग थे, वे कमंडल लेकर भ्रमण करते थे। जहां दिन छिप गया, रात को वहीं रुकते थे, प्रचार करते थे। अब ये साधु-संत एम.एल.एज., एम.पीज. भी बन गए। अब ये सोने के महलों में रह रहे हैं, ये अब मखमली घड़ों पर सो रहे हैं और ये अब एयर-कंडीशन्ड कारों में चल रहे हैं तो अब कौन प्रचार करेगा इसका? यह समाज-सुधार का काम इनको करना चाहिए लेकिन आज यह सारा प्रचार ठप्प हो गया और हम इनके घरण छूते हैं। तब तो प्रचारक थे सारे के सारे।...(व्यवधान)...

**श्रेय धम्मा त्रीरियो (बिहार) :** आपकी पार्टी ने तो पहले शुरू किया।

**श्री संघ प्रिय गौतम :** आप सुनिए। महात्मा यानी मगवान बुद्ध ने 45 वर्ष भ्रमण करके प्रचार किया, ईसा मसीह ने 30 साल घूम कर प्रचार किया, हज़रत मोहम्मद ने 25 साल घूम कर प्रचार किया, हमारे देश के नेताओं ने भी भारत यात्राएं कीं, देश में अपने प्रचार के लिए, राजनीतिक प्रचार के लिए वे घूमे। सबसे पहले हमारे पूर्व प्रधान मंत्री ने भारत यात्रा की थी प्रचार के लिए। तो जिस तरह से हम यात्राएं राजनीतिक प्रचार के लिए करते हैं, ये यात्राएं हमारी इस प्रचार के लिए भी होनी चाहिए। मैं सुझाव दे रहा हूँ।

महोदय, हमारी कुछ मान्यताएं हैं। आपने देखा होगा रामायण में जहां यह लिखा है कि "होई है सोई जो राम रचि राखा, को करे तरक बढ़ावे साखा" वहां यह भी लिखा हुआ है कि "कर्म प्रधान बिस्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।" तो हमें इसका प्रचार करना चाहिए। पहली वाली को छिपा देना चाहिए और दूसरी वाली का प्रचार करना चाहिए।

अल्लामा इकबाल ने "शिकवानामा" लिखा और उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी लिख दीं जो इस्लाम के लोगों को बुरी लगीं। तब फिर उन्होंने "जवाबशिकवा" लिखा और जहां उन्होंने यह कहा कि "अल्लाह की मरज़ी के बगैर कुछ नहीं होता", वहां उन्होंने यह भी कहा कि

"अमल से ज़िदगी बनती है जन्नत भी, जहन्नम भी,  
ये खाकी अपनी फितरत से न नूरी है न मारी है।"

तो हमें इसका प्रचार करना चाहिए, दूसरी बात का प्रचार नहीं करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि धर्मग्रंथों में यह लिखा हुआ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ जब दुनिया की दूसरी लड़ाई हो रही थी, मैं मिडिल में पढ़ता था, तो भरती हुई बड़े पैमाने पर। तब गांव-गांव में प्रचारक कहते थे

"भरती है जा रे सांवरिया तेरे द्वार खड़े रंगरूट ।  
यहां तो पहने फटे-चीथड़े, वहां पहने वो बूट ॥  
यहां पर पहने फटा-चीथड़ा वहां पहने वो सूट ।  
भरती है जा रे सांवरिया तेरे द्वार खड़े रंगरूट ॥"

हमें साधारण भाषा में ... (व्यवधान) ... प्रचार करना चाहिए।

**अद्वेय धम्मा वीरियो:** आपको ऐसा कहना चाहिए कि भगवान के आशीर्वाद से बच्चे पैदा होते हैं।

**श्री संघ प्रिय गौतम :** साधारण भाषा में गांवों में जाकर लोगों को इकट्ठा करके हमें यह प्रचार करना चाहिए लेकिन आज प्रचार बंद क्यों हो गया? यह सारा मामला टेलीविजन ने बिगाड़ दिया है इसलिए टेलीविजन को बंद करना चाहिए। आप कहेंगे कैसे? ... (व्यवधान) ...

**श्रीमती शबाना आजमी :** जनसंख्या का अहम मुद्दा है, उस पर बोलिए।

**श्री संघ प्रिय गौतम :** अब आप सुनिए। Please don't disturb me. I will not disturb you.

**SHRIMATI SHABANA AZMI:** I am not disturbing you, but you should..... (Interruptions)...

**श्री संघ प्रिय गौतम :** आप सुनिए कि टी.वी. में लोग क्या देखते हैं। अब कुम्हार गधे के गले में टी.वी. लटका लेता है। ..गांव में वह क्या देखता है, या तो फिल्म देखता है या फिर सर्वशक्तिमान सीरियल देखता है। इस सीरियल को देखकर हजारों बच्चे मर गए, किसी की आंख फूटी, किसी की टांग टूट गई। टीवी में बादल या कोई और फिल्म, मुझे याद नहीं आ रहा है, देखकर चोरी करने के लिए ऊपर चढ़ गए और एक के बाद एक गिर गए। क्या देखते हैं टीवी पर, चुनाव के परिणाम देखते हैं। टीवी पर यह प्रचार नहीं होता है कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम ये हैं। यह टेलीविजन तो बन्द करना चाहिए। प्रमोद जी, मैं आपसे कहूंगा कि इस पर दस घंटे का केवल यही प्रचार होना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि टेलीविजन बन्द होना चाहिए। आदमी यह कहता है कि टेलीविजन से नॉलेज बढ़ रही है। अभी इन्होंने प्रस्ताव में चार बातें कहीं हैं, मैं तो केवल चौथी बात कह रहा हूँ कि अपराध बढ़ रहे हैं, चोरियां बढ़ रही हैं, डकैतियां बढ़ रही हैं, बलात्कार कैसे होता है, रेलगाड़ियां कैसे लूटी जाती हैं, सब टीवी पर दिखाए जाते हैं और बीच में शराब की बोतल जरूर दिखाते हैं कि कैसे शराब पीते हैं। इससे सबको बिगाड़ रहे हैं। इससे देश को कोई लाभ नहीं होने वाला है। ... (व्यवधान) ... आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ इसलिए हमें टेलीविजन से, रेडियो से इसका प्रचार करना चाहिए और एग्रीकल्चर का प्रचार भी करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि मैं एक बार रुड़की एक मीटिंग में गया था। वहां पर एक परिवार रहता था

5.00 P.M.

और उनके घर के दो दरवाजे थे जिन पर दो नेम प्लेट लगी हुई थी। एक नेम प्लेट पर लिखा हुआ था जिला मद्य अधिकारी और दूसरी पर लिखा हुआ था जिला मद्य- निषेध अधिकारी। यानी एक तरफ शराब का प्रचार करने वाला और दूसरी तरफ शराब के विरुद्ध प्रचार करने वाला। आज भी वहां पर यह लिखा हुआ है। अगर शराब की बौतल पिलाने के लिए रोजाना नई-नई दुकानें खोलें और रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए आप इनके ज्यादा पैसों में टेके छुड़ाए तो फिर मद्य निषेध अधिकारी शून्य हो जाता है, उसका प्रचार शून्य हो जाता है। इसके लिए या तो प्रचार को बढ़ाएं यानी पावर आफ रेसिस्टेंस बढ़ाएं तथा बड़ी ही तेजी से यह मद्य- निषेध का प्रचार लोगों के लिए होना चाहिए। यहां पर बहन जी ने मुझसे पूछा था इसलिए मैं बता दूँ कि मेरा एक ही बच्चा है और घर वाली अब नहीं है।

**श्री एन.के.पी. सात्वें (महाराष्ट्र):** वह किन्ना बढ़ा है?

**श्री संघ प्रिय गीतम :** वह बालिग है। मेरे कुल दो बच्चे हुए थे। एक एक्सीडेंट में मारा गया और दूसरे के दो बच्चे हैं और उसके आगे फुल स्टॉप है। जब इंदिरा गांधी जी के जमाने में इसका प्रचार हुआ तो दीवार पर यह लिखा गया "पहला बच्चा अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं"। वहीं पर रात में न जाने कौन लिख गया "पहला बच्चा अभी-अभी, आठ के बाद कभी-कभी"। यह किन शरारती तत्वों का काम था, ऐसे लोगों को पकड़ कर उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और इस प्रकार के दुष्परिणाम को रोका जाना चाहिए। मैं सुझाव दे रहा हूँ। मैं किसी आंकड़ेबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। हमें दुष्प्रचार को रोकना चाहिए। मैं बधाई देता हूँ, अपने प्रधान मंत्री जी और अपनी सरकार को कि उन्होंने एक जनसंख्या नीति निर्धारित की है और उसको अपनाया है। लेकिन इसका जो पहला पहलू है गर्भनिरोधक, इसे लागू करना चाहिए।

अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। गर्भ निरोध से भ्रूण हत्या भी नहीं होगी ... (व्यवधान)...

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पच्चरी) :** दो मिनट बात सुन लीजिए। दि रूल ऑफ प्रोसिजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस में रूल 24 के तहत प्राइवेट मੈम्बर्स का समय निर्धारित किया गया है जो प्रायः द्वाइ घंटे का होता है। तीन बजे से प्राइवेट मੈम्बर्स रेजोल्यूशन पर चर्चा शुरू हुई थी। यदि सदन सहमति देता है तो इसे पांच तक कर दिया जाए और यदि चर्चा समाप्त नहीं होती तो अगली बार प्राइवेट मੈम्बर्स रेजोल्यूशन का जो दिन होगा उस दिन यह चर्चा की जा सकती है।

दूसरी बात यह है कि यदि सदन सहमत हो तो साढ़े पांच के बाद जो बिजनेस आने वाला है यदि उस पर चर्चा करनी हो तो उस पर भी अपनी सहमति दे दें वरना साढ़े पांच के बाद सदन स्थगित करने संबंधी कार्यवाई होगी।

**श्री संघ प्रिय गीतम :** स्थगित कर दीजिए साढ़े पांच के बाद। सुबह से बहुत काम कर रहे हैं।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पच्चरी) :** अब आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव जारी रखिए।

**श्री संघ प्रिय गीतम :** आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन आपसे एक दूसरी बात अर्ज कर रहा था कि ग्रामों में, शहरों में सामूहिक मिलन कार्यक्रम अब

समाप्त हो गए हैं। अब लोग एक जगह बैठते नहीं। यदि एक परिवार में चार-पांच भाई हों तो वे भी इकट्ठे नहीं बैठते। हरेक के कमरे में अपना टेलीविजन लगा हुआ है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं आपको बताता हूँ मेरा एक पोता और पोती है वे स्कूल जाते हैं और मेरी पुत्रवधू दोपहर में दरवाजा बंद करके जब से केबल टी.वी. चला है, सिवाय टी.वी. के कुछ और काम नहीं करती। चाहे बाहर घोर ताला तोड़कर सामान ले जाए कुछ पता नहीं। यह हकीकत है। बहुत-सी घटनाएं घटी हैं। अब ये सामूहिक मिलन कार्यक्रम समाप्त हो गए हैं। परिवार के लोग अब एक जगह इकट्ठे नहीं बैठते। जब गांव, मोहल्ले के लोग एक जगह इकट्ठे नहीं बैठेंगे तो आप किसे समझाओगे, क्या समझाओगे, क्या प्रचार करोगे? या तो चुनाव सभाओं में लोग इकट्ठे होते हैं या ठर्रा पीने की दावत में इकट्ठे होते हैं या किसी मरे हुए को जलाने के लिए इकट्ठे होते हैं। समाज सुधार के लिए कोई आदमी इकट्ठा नहीं होता। यह भावना क्यों लोप हो गई? इस भावना के लोप होने का क्या कारण है? एक दिन प्रधानमंत्री जी ने, जब वे विरोधी दल के नेता थे, बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने यह कहा कि हर राजनैतिक कार्यकर्ता को सामाजिक कार्यकर्ता होना ही चाहिए। मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। मैंने 24 अक्टूबर, 1976 में दो सौ शादियां बगैर दहेज के बुलंदशहर में आयोजित करवाई थीं। यहां डी.पी.यादव साहब बैठे हैं शायद उन्हें याद हो तो मेरी जानकारी में उस आयोजन में पांच लाख लोग देखने आए थे। बीस हजार मुस्लिम पदानशीन औरतें आई थीं। इसमें सौ शादियां हुई थीं जबकि दो सौ का लक्ष्य था। मैंने उसे फिर दिसम्बर, 1982 में दोहराया। नसबंदी का जहां तक सवाल है हमारे यहां एक कैंप लगा था। उपसभाध्यक्ष जी, यह मेरी आखिरी बात है। हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री ए.के.दास जी ने उत्तरी भारत में विशाल नसबंदी कैंप लगवाया। मैं रिपब्लिकन पार्टी में काम करता था, कांग्रेस का राज था वहां पर। नसबंदी कैंप के पचास बूथ लगे, पचास डॉक्टर आए। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री उद्घाटन करने आए थे। स्वास्थ्य मंत्री जी आप पर भी यह बात आ सकती है सुन लें। प्रेमचंद शर्मा जी, उन्होंने उद्घाटन किया था और भाषण देकर चले गए। मैं नीली टोपी पहने बैठा था। मैंने कहा कि ठहरो मंत्री जी, नसबंदी कैम्प का उद्घाटन अधूरा है, पहले आप अपनी नसबंदी करवाइए, तब उद्घाटन पूरा होगा। यह आप पर भी लागू है, पहले आप अपने घर से प्रारम्भ कीजिए - चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, भाई-भतीजा--

श्री एन. के. पी. साल्वे : सदन के सदस्यों को आप कहें कि सब नसबंदी करवाएं।

श्री संघप्रिय गीतम : मैंने कहा कि वही भाई, भतीजा, मामा, फूफा, चाचा - रिश्तेदार, गांव, परिवार जिन लोगों पर आपका प्रभाव है, आप उनको प्रभावित कीजिए। आप तो उस उम्र से निकल गए हैं। लेकिन कोई करता नहीं है। यहां जुबान की लपफाजी और आंकड़ेबाजी करते हैं ताकि टी.वी. पर नाम आ जाए, अखबार में नाम छप जाए।

श्री एन. के. पी. साल्वे : मैं भी वही बात कह रहा हूँ। सदन के सदस्यों को भी प्रभावित करिए।

श्री संघप्रिय गीतम : आप मेरे से प्रभावित नहीं हो रहे हैं ?

श्री एन. के. पी. साल्वे : मैं 80 साल की उम्र में क्या कर सकता हूँ।

श्री संघप्रिय गीतम : मैंने जब वहां पर कहा कि मैं अपने आपको आफर कर सकता हूँ तो वहां पर हमारे यहां के डिस्ट्रिक्ट जज थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।

उस समय टीवी नहीं आया था, कहीं कहीं बड़े लोगों के पास होता था। आल इंडिया रेडियो के लोग आए। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मुझे पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं। मैंने कहा कि दो। आप किस पार्टी से हैं। मैंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी का हूँ, विरोधी दल का हूँ। कहा, यह तो सरकार का काम है और कांग्रेस पार्टी की सरकार है इसलिए आप क्यों नसबंदी करा रहे हैं। मैंने कहा कि यह काम किसी का भी हो लेकिन यह राष्ट्र का काम है, राष्ट्र हित का काम है और मैं राष्ट्रवादी पहले हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। यह हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। लेकिन यह कि कौन से दल की सरकार है और उसका लाभ किसको मिलेगा, जब यह दृष्टिकोण होगा तो गंभीर विषय भी अपनी गंभीरता को कम कर देता है। इसलिए मान्यवर अनुपस्थित सदस्य जो इस समय नहीं हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है, होना यह चाहिए कि the mover of the resolution ought to have been present throughout, ऐसा होना चाहिए था और उनको इसका नोटिस लेना चाहिए था।

महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपके माध्यम से यह प्रार्थना करता हूँ कि जो पालिसी सरकार ने अपनाई है इस पालिसी को आप जरूर लागू करना और लागू करने करने में कोटा, लाइसेंस, परमिट, एजेंसी, दुकान, मकान, फ्लैट, प्लॉट, सरकारी लाभ आदि जितने भी लाभ हैं इस वक्त इन लाभों से उन्हें वंचित रखना चाहिए जो इनका अनुपालन न करे। बहुत बहुत धन्यवाद।

SHRI FALI S. NARIMAN (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for having given me an opportunity to speak on this Resolution. I would like to add my small voice to the very big problem highlighted in Mr. Rama Muni Reddy's Resolution. It comes not a day too late. We all know that we have 16% of the world's population, and that our current annual increase in population is 15.5 millions -- alarmingly high and large enough to neutralise all our efforts to conserve our scarce resources and to improve the economy of the country. In fact, Sir, all the problems we have been discussing in this House are most intrinsically connected with population, namely, law and order or rather the breakdown of law and order, problem of unemployment, of health, problems arising out of disinvestment, etc.; the link factor in each of them is number. We must tackle this squarely, not hypocritically. Sir, I believe we must get out of the guilty complex induced by the Internal Emergency of June 1975 when coercive family planning policies were pursued. Since then no Government, no politician has been able to look family planning directly in the face. Even the Ministry of Family Planning was renamed, so as not to cause offence as the Ministry of Family Welfare. The only good thing during the Emergency was that during this period, power was taken by the Centre to add the subject of Family Planning in the Concurrent List.

It shows the prominence of Parliament and of the Central Government over that of the States in framing of policies and in framing of laws.

I do not subscribe to the popular belief that population is a directly targetable goal. The exhortation to us to restrict ourselves to two children, handling around a liberal supply of condoms and setting sterilisation targets for officials, I believe, is only tackling the problem at its periphery.

Population stabilisation is a derived benefit. It is achieved only when a certain number of primary goals are met. The primary goals are education, health and female empowerment. Making progress in these social indicators is difficult but always worth trying. I believe this is our only hope.

Our Constitution was framed at a time when our population was 350 million, and we expected to solve the problems of backwardness in ten years. Despite the fact that we are in the sixth decade of our Constitution now, we find that we are worse off than when we started.

Population control became a dirty word after the 1975 Emergency, and no one wished to look at it for twenty-five years. Meanwhile, our numbers grew. The amount we spent on education and health was hopelessly and woefully inadequate. It is still woefully inadequate. A few months ago, it was proudly proclaimed that the billionth baby was born in India. There were pictures in the newspapers and a lot of media hype, as if it was a matter of celebration. In the game of cricket, bowlers do not celebrate their success by the number of runs given away, but by the number of wickets taken. I would suggest that we should do likewise: not call for celebrations for increasing numbers, but call for firm steps to contain such increase.

SHRI N. K. P. SALVE: Mr. Nariman, how can we count the unborn children?

SHRI FALI S. NARIMAN: What are these steps for containing this increase? They have been stated in the National Population Policy of 2000. I entirely agree with all the Hon. Members who have spoken that this is the Policy that we must follow. We may have our own views about stabilising the population. But a whole series of experts have looked into it and formulated it. The better thing is to follow it and to implement it. We have only hard options. The National Population Policy says that even if it is fully implemented, we can expect a population of 110 crores by 2010, instead of 116 crores projected by the Technical Group on Population.



The NPP states that the population growth continues to be high for two main factors. There is a large size of the population in the reproductive age group. The estimated contribution is as high as 57 per cent. It is stated that it is imperative that this reproductive age group adopts, without further delay and exception, what I would call, the small family norm because 45 per cent of the population increase is contributed by births above two children per family. This requires meaningful education, particularly, meaningful primary education. I am happy to see the answer to today's Starred Question No.200, which says:

"in the area of basic education, it is proposed by the Government to set up privately run or private managed primary schools for children up to the age of 14 or 15 by stimulating the corporate sector to provide the mid-day meals, text-books etc."

But I urge upon the Minister: the less the proposals we have, the better; the more the action on these proposals, the better. Let us start some primary schools on that basis so that the implementation of the National Population Policy becomes immediately meaningful.

The second reason given in the NPP is that 50 per cent of the girls marry below the age of 18, the minimum age for marriage, which results in a typically reproductive pattern of too early, too frequent and too many. This shows that our mind-set needs to be changed, particularly in rural areas. There should be awareness; what needs to be done is empowerment of women. I think universal access to family planning and empowerment of women are two of the cornerstones of stabilising our population.

Looking at the National Population Policy, I find that three types of objectives have been mentioned. They are immediate objectives, medium-term objectives and long-term objectives. I omit the long-term objectives because, they say, in the long-term, we are dead. The period for the long-term objectives is 2045 A.D. years. Short-term and medium term objectives that are formulated require funding. Programmes and projects are based on terms of adequate funding. While other countries spend 7 to 15 per cent of the G.D.P., in India we spend less than 3 per cent. In order to implement immediately the Action Plan, which the Population Policy sets

out, it is necessary to double the Annual Budget of the Department of Family Welfare to enable the Government to address the shortfall in unmatched needs for health care, infrastructure services and supplies. Although this policy was formulated in February, we have not yet heard whether the Finance Minister endorses this or not. I do not think it is too much to ask whether he could possibly double the Annual Budget. In fact, if existing priorities do not permit even the imposition of a health cess, I do not know how it would be possible to implement them. I do not see any reason why this cannot be done so that the viable needs and deficiencies in various services, including contraceptive services, health infrastructure, including specialists and trained manpower, do not go unmet.

One positive recommendation that the National Population Policy has come up with is that the number of seats in the Lok Sabha and the Rajya Sabha based on the 1971 census and which are frozen till 2001, be kept frozen till 2026. That is good, but it is not good enough. The Government must enlist the help of more NGOs, activate them, support them to spread the ideals of lower population growth. All our successes, all our targets of production in the agricultural and industrial sphere, are over-shadowed by this enormous problem of over-growth of population which, after it has grown, is not provided with adequate means to sustain itself either in the form of health benefits or education. We are reproducing illiteracy and poverty faster than our capacity to contain these evils. I believe that no financial outlay is too great if it helps to stabilise our population. That is the only way to improve. Our position in the United Nations Human Development Index is still at such a low level, even when compared with other developing countries of the world.

Yesterday, we all expressed our concern about the bomb blasts throughout the country. I feel that we are sitting on an enormous time-bomb ourselves and no one but ourselves can help to defuse it. I am alarmed at one billion. So are many many thousands of people. But my point is that we have the means to meet the problem. We have the intellect, we have the capacity, we have the ability, but the nation requires not only leadership, but drive and dedication and a total lack of hypocrisy when dealing with the problem. I believe, the political will is the essence. All political parties have to do more -- not say more -- in order to contain our population growth. Thank you.

**श्रीमती जमना देवी बारूपाल (राजस्थान) :** आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इसे देखते हुए देश में एक बहुत गंभीर समस्या पैदा होती जा

रही है। यह एक राष्ट्रीय और गंभीर मुद्दा है तथा बड़ी उलझी हुई समस्या है। आज तक जो छोटे परिवारों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, उनके परिणाम कोई खास अच्छे नहीं रहे हैं। स्व. प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने भी इसी पार्लियामेंट में 1952 और 1953 के आस-पास बड़े जोर-शोर से इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन अफसोस इस बात है कि 50 वर्ष से भी अधिक हो गए, लेकिन इस बढ़ती हुई समस्या के ऊपर सरकारों का, राजनेताओं का और प्रचारकों का कोई असर हुआ ही नहीं है।

मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि जो माता-पिता एक बच्चा पैदा करते हैं, उन को अधिक राशि देकर सम्मानित किया जाना चाहिए जिस से कि दूसरे लोग उन से प्रेरणा ले सकें। उपसभाध्यक्ष जी, माता-पिता की यह एक छोटी सी सोच होती है कि वृद्धावस्था में औलाद उन के जीवन का सहारा बनेगी, उन्हें खाने-पीने और सेवा-चाकरी की कोई फिक्र नहीं रहेगी। लेकिन आज बढ़ते हुए परिवारों की समस्या देश में घिता का कारण होती जा रही है। चाहे वह कृषि-भूमि की समस्या हो, चाहे रोजगार या नौकरी की समस्या हो - जीवन में समस्याएं ही समस्याएं पैदा होती जा रही हैं और परिवार में कहीं सुख और चैन का वातावरण नहीं है, आपस में भाईचारा नहीं है। अभी एक एम.पी. साहब ने बताया कि मां के जाए दो सगे भाई अपनी चीपाल पर नहीं बैठ सकते, वे लड़ते रहते हैं। उपसभाध्यक्ष जी, यदि जीवन में प्रेम नहीं रहेगा, सीहार्द खत्म हो जाएगा तो जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस मुद्दे को प्राथमिक शिक्षा में रखा जाना चाहिए। नाटकों के द्वारा इस बारे में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए ताकि लोग इससे प्रेरित हों। मैं जब प्रधान थी तो मैं ने छोटे परिवार के संबंध में दो-चार नाटक लिखे थे जिन में एक ग्रामीण वृद्ध आदमी की समस्या से संबंधित था। महोदय, उस की भाषा मारवाड़ी थी, लेकिन चूंकि यहां लोग मारवाड़ी नहीं समझते हैं, इसलिए मैं उस भाषा में नहीं समझाऊंगी बल्कि हिंदी में उस का अनुवाद करूंगी। वह कहता है 'मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मुझे दिन में चैन नहीं आता, रात को नींद नहीं आती और बच्चों की सोच सताए रहती है। कोई बच्चा टोफी मांगता है, कोई पैसा मांगता है। मैं यह सब कहां से लाऊं, फिर उन को अच्छा भोजन भी कराऊं। इसलिए सोच सताए रहती है।'।

महोदय, अभी मेरे से पूर्व एक संसद सदस्य ने राजस्थान के बारे में कहा। पता नहीं वह कौन सी भाषा में कह गए, मुझे उन की बात याद ही नहीं रही। लेकिन मैं राजस्थान के बारे में कहूंगी कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्र है और 1947 तक हरिजनों को, गरीबों को पढ़ने की कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी गयी थी जिस से कि उन को कोई ज्ञान होता। लेकिन आज हमारी सरकारें इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही हैं। तो जब लोग शिक्षित होंगे, माता शिक्षित होगी तो वह अपने बच्चे को खुद शिक्षित बनाएंगी। मेरे को तो इतना ही ज्ञान है कि मां की कोख से जन्मे बच्चे के लिए मां की शिक्षा ही सब से बड़े विश्वविद्यालय की शिक्षा होती है। आप अगर शिक्षा पर जोर देंगे तो देश की यह समस्या भी हल होगी।

उपसभाध्यक्ष जी ने मौका दिया और आप ने सुना इस के लिए धन्यवाद।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, today we are discussing about the population growth which has become difficult to control not only in our sub-continent, but throughout the globe. Before I discuss about the Resolution that is listed in the agenda, I want to mention about the then Health Minister, Dr. Chandrashekhar, our

Dr.C.P. Thakur's predecessor; not immediate predecessor, some 40 years ago, he was the Health and Family Welfare Minister. He told us, "In case India failed to control the population growth, we may have to face so many problems in several sectors." Sir, we have to bow and respect him for the vision he possessed. Instead of me, if late lamented Member of this august House, Dr. Aram .....were to speak on this subject, he would have thrown better light. Sir, if we are able to achieve the target in this matter, most of the other problems that we are confronted with today would be solved. In India today, we have 2.4 per cent of the land area of the globe. At the same time, 16 per cent of the global population are Indians, living in India. The population addition is between 16 million and 19 million. Every year, that is being added. Today, already we are facing the problem not only with crude birth but also with unreported population in slums and other areas. We do not take that into account. That is unrelated population. Together with the crude birth, unrelated population, we have the burden of illegal migration. We are really confronted with the fact that the growth rate of work force is actually more than the growth rate of employment because in the 70s and 80s, we could not control the population. When they have become adults, we are facing the problem now. Even though the gap is being reduced, the rate of growth of work force is 2.4 per cent whereas the rate of growth of employment, at the maximum, is 2.2 per cent, the public and the private sectors put together. Here, I would like to compare our country with China because that is also a country with a vast population like us. From 1987 to 1996, the growth rate of their population was 1.5 per cent. But the growth rate of work force there was 2.2 per cent. Therefore, they are able to cope with the unemployment problem. It does not mean that there is no unemployment. As already stated two days back, to cope with unemployment, in the 1993 Asia-Pacific Conference, there was a resolution adopted on the open economy system, that is, market forces. The Government of China agreed to the open economy system and signed the resolution. They have accepted the open economy system. In practice, they have done the economic reforms, fiscal reforms, monetary reforms, since 1974 itself. We are late in the sense that we have started it only in the 90s.

After 20 years, our population will be added further by 330 million. That is the present situation as per estimates. Now, already, 320 million people consume less than 80 per cent of their energy required. In other words, I can say, 320 million people or 32 crore people are in the parameters of 'food insecure'. This is the situation.

[4 August, 2000]

RAJYA SABHA

Sir, when this is so, the world situation, the global situation, is also not rosy.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLAMENTARY AFFAIRS (SHRI O. RAJAGOPAL): We can see the global situation later, Sir. It is 5.30 p.m. now.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Yes. Okay

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा 18 अगस्त, 2000 को जारी रहेगी। अब सदन की कार्यवाही दिनांक 7 अगस्त, 2000 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at thirty minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 7<sup>th</sup> August, 2000